केन्द्रीय सरकार का नीतिगत समर्थन

आरक्षण की नीति

लघु उद्योग क्षेत्र के संवर्धन के लिए केवल इसी क्षेत्र में ही विनिर्माण के लिए उत्पादनों का आरक्षण बहुत महत्त्वपूर्ण नीतिगत उपाय रहा है। नीतिगत उपाय के रूप में संगठित बड़े और मध्यम क्षेत्र के उद्योग की तुलना में प्रतिस्पर्धा को देखते हुए और लघु उद्योग क्षेत्र की नजाकत को ध्यान में रखते हुए लघु उद्योग क्षेत्र के हितों की सुरक्षा के लिए आरक्षण को मुख्यत: नीतिगत उपाय के रूप में प्रयुक्त किया जाता है।

आरक्षण नीति का मूल उद्योग (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1951 है और इसे 47 मदों के साथ 1967 में आरम्भ किया गया था, जिसे 1978 तक बढ़ाकर 504 मदें किया गया। 1978 में आरक्षित सूची को एन.आई.सी.संहिता में नया रूप दिया गया और मदें बढ़ाकर 807 कर दी गईं। 1984 में आरक्षित मदें बढ़कर 873 हो गईं। आरक्षण नीति को मार्च, 1984 से कानूनी समर्थन प्राप्त हुआ और आक्षरण पर सलाहकार समिति का गठन हुआ। यह सलाहकार समिति समय-समय पर बैठकें करती है और नामावली में परिवर्तन किए जाने सहित सूची में मदों के आरक्षण को जोड़े जाने अथवा सूची से मदों को हटाए जाने पर विचार करती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान लघु उद्योग क्षेत्र में ही विनिर्माण के लिए आरक्षित मदों की सूची में से 141 मदों को अनारक्षित किया गया है तथा 1 जुलाई, 2003 की स्थिति के अनुसार इस क्षेत्र के लिए 675 मदें आरक्षित हैं। लाइसेंस नीति के अनुसार आरक्षित क्षेत्रों में मझोले/बड़े क्षेत्र में नई क्षमता का सृजन किए जाने की अनुमति है, बशर्ते कि इकाई अपने उत्पादन के 50 प्रतिशत की निर्यात बाध्यता से सहमत हो जाती है। दिनांक 3 जून, 2003 की अधिसूचना सं. का.आ. 649 (अ) (ई.) के अनुसार 75 मदें अनारक्षित की गई हैं, जिससे आरक्षित मदों की संख्या कम होकर 675 रह गई है। अनारक्षित मदों की सूची अनुबन्ध में दी गई है।

पंजीकृत लघु उद्योग इकाइयों की दूसरी अखिल भारतीय गणना (1987-88) के अनुसार आरक्षित मदों का भाग निम्न प्रकार है :

- लघु उद्योग क्षेत्र में उत्पादित मदों का 11.3 प्रतिशत
- लघु उद्योग क्षेत्र में उत्पादन का 28.3 प्रतिशत
- कार्यशील लघु उद्योग इकाइयों का 36 प्रतिशत, जिसके लिए गणना में आँकड़े संकलित किए गए।
- कार्यशील एवं बन्द इकाइयों की कुल संख्या का 23.8 प्रतिशत
- 68 आरक्षित मदों का भाग आरक्षित क्षेणी के अन्तर्गत उत्पादन का 80 प्रतिशत पाया गया।

बड़े उद्योगों द्वारा आरक्षित मदों के विपणन के सम्बन्ध में कोई विनियम एवं प्रतिबन्ध नहीं है।

आरक्षण नीति की उपलब्धियों का उल्लेख निम्न प्रकार से है :

(i) इससे लघु उद्योग क्षेत्र की तीव्र वृद्धि हुई है;

(ii) इसने निर्यात संवर्धन के रूप में कार्य किया है और

(iii) इसने उप-संविदा तथा विक्रेता विकास का संवर्धन किया है।

तथापि, लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षण नीति की निम्न आधार पर आलोचना भी की जाती है :

(i) सुरक्षा के उपाय के रूप में आरक्षण से समर्थन की तरफ़ देखने की आदत विकसित हुई है और यह प्रोत्साहन प्रभावी नहीं रहा है।

(ii) यह स्केल की अर्थव्यवस्थाओं को भी नष्ट कर रहा है तथा बाह्य अर्थव्यवस्थाओं के प्रवेश को रोक रहा है, चूँकि यह सीधे विस्तार को निरुत्साहित करता है।

(iii) आरक्षित मदों के क्षेत्र में 50 प्रतिशत की निर्यात बाध्यता एक अवरोध है।

(iv) लघु उद्योगों में विपणन पहुँच की कमी है, चूँकि वे

बड़ी मात्रा में माल का उत्पादन करने तथा सप्लाई करने में असमर्थ हैं।

(v) आरक्षित मदों में क्षमता उपयोगिता कम है।

(vi) उपभोक्ताओं को घटिया गुणवत्ता का माल स्वीकार करना पड़ता है और सुरक्षा एवं स्वच्छता मानदण्डों के कारण उन्हें हानि उठानी पड़ती है।

(vii) उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के सन्दर्भ में आरक्षण व्यर्थ एवं असंगत हो गया है।

डब्ल्यू.टी.ओ. प्रणाली के अन्तर्गत उभरता आर्थिक परिदृश्य

यह तर्क दिया गया है कि मात्रक प्रतिबन्धों को हटाए जाने से आरक्षण नीति व्यर्थ हो गई है। आरक्षण सूची में समस्त मदों को ओ.जी.एल. पर रख दिया गया है। इसके अतिरिक्त यह तर्क भी दिया गया है कि एक तरफ़ तो हम देश के भीतर आरक्षित मदों के उत्पादन के लिए बड़ी संख्या में अपने ही निवेशकों को स्वीकृति नहीं देते हैं, दूसरी तरफ़ हम उदार आयात की अनुमति देते हैं, जिसका अर्थ अपने विदेशी मुद्रा भण्डार को खाली करना भी है।

डब्लू.टी.ओ. शर्तें आरक्षण को मुक्त व्यापार में एक बाधा मान सकते हैं। यह कहा जाता है कि कई लघु उद्योग इकाइयाँ बनी हुई हैं, क्योंकि वे निम्न गुणवत्ता का माल निर्मित करती हैं और इसे घरेलू बाजार में निम्न आय समूह को बेचती हैं। घरेलू बाजार विदेशी माल से प्रतिस्पर्धा के लिए पूरी तरह खुला है, निम्न श्रम लागतें हमारे लघु उद्योगों को लाभ पहुँचाती हैं, परन्तु यह एक सीमा से ऊपर प्रभावी नहीं रहेगा। लागत स्तर पर भी नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश तथा विशेष रूप से चीन जैसे पड़ोसी देशों से अन्य निम्न लागत उत्पादकों से कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ सकती है। साफ्ता के अन्तर्गत सार्क देशों के सदस्यों से भारत को बहुत ही कम अथवा शून्य शुल्क दर पर आयात प्राप्त हो सकेंगे। इससे आरक्षित क्षेत्र में और कमी आएगी। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि हमारे पड़ोसी देशों में किसी भी रूप में आरक्षण नहीं है। अब जो प्रश्न उठता है, वह यह है कि क्या भारतीय लघु उद्योग क्षेत्र और विशेषत: आरक्षित क्षेत्र इन चुनौतियों का सामना करने की स्थिति में है। यह सभी को ज्ञात है कि भारतीय लघु उद्योग क्षेत्र को क्रेडिट की अपर्याप्त सप्लाई, कमज़ोर आधारिक संरचना, प्रौद्योगिकी उन्नयनीकरण की उच्च लागत, बड़ी एवं लघु इकाइयों के बीच सम्पर्क, विपणन आदि जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

अनेक समस्याओं के बावजूद नामत: बदलती हुई विपणन एवं उत्पादन रणनीतियाँ, डब्ल्यू.टी.ओ. के अन्तर्गत बदलते हुए व्यापार नियमों में लघु उद्योग क्षेत्र बड़ी इकाइयों की तुलना में वृद्धि की उच्च दर दर्ज करने में सफल रहा है और इसने उत्पादन, निर्यात एवं रोजग़ार में सकारात्मक योगदान दिया है। वास्तव में आरक्षण ने लघु उद्योग क्षेत्र को घरेलू एवं निर्यात बाजार दोनों में वृद्धि करने में सहायता दी है और इससे बड़े पैमाने पर रोज़गार का सृजन करने में सहायता मिली है। आरक्षित मदों की सूची पर दृष्टि डालने से यह प्रकट होता है कि इसमें मदों की व्यापक किस्में हैं, जिनमें औजार, काग़ज, लकड़ी, हौजरी, मैटल, कैमिकल्स, ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स, यांत्रिकी, इलैक्ट्रिकल्स, इलैक्ट्रॉनिक्स मदें, ऑटोमोबाइल घटकों आदि जैसे उद्योग के लगभग सभी क्षेत्रों की मदें शामिल हैं। इसमें अचार, चटनी, कान्फैक्शनरी, टैपिओका फ्लावर से लेकर मशीन औजार, उच्च प्रौद्योगिकी जनित कैमिकल्ज और औद्योगिक उत्पादनों जैसी विभिन्न मदें शामिल हैं। आरक्षण सूची में न केवल उत्पाद शामिल हैं, बल्कि प्रक्रियाएँ भी शामिल हैं।

लघु उद्योग क्षेत्र में ही विनिर्माण के लिए उत्पादों का आरक्षण अभी जारी रहना चाहिए, क्योंकि लघु उद्योग क्षेत्र के आरक्षित घटक रोजगार, उत्पादन एवं निर्यात में महत्त्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। सम्बन्धित क्षेत्र तथा बाजार स्थिति के विकास एवं दृढ़ता को देखते हुए चुनिंदा अनुरक्षण पर समय-समय पर विचार किया जा सकता है। इसके लिए उद्योग से विचार-विमर्श जरूरी है।

अनुबन्ध

अनारक्षित वस्तुओं की सूची

अधिसूचना का. आ. 649 (अ) दिनांक 3.6.2003 जिसे शुद्धि-पत्र का.आ. 680 (अ) दिनांक 12.6.2003 के साथ पढ़ा जाए।

क्र.सं.	क्रम संख्या (राजपत्र अधिसूचना के अनुसार)	उत्पाद-कोड	उत्पाद का नाम
1.	56	281102	कंपोजिट डिब्बे (बिना परत के)
2.	61	283102	कागज के रस्से, डोर और रस्सियां
3.	72	283911	कागज के स्ट्रेप
4.	92	291102	चमड़ें के जूते का ऊपरी हिस्सा
5.	93	291301	चमड़े की सेंडल और चप्पलें
6.	94	292001	चमड़े के वस्त्र
7.	95	293101	चमड़े के सूटकेस और सफरी चीजें
8.	96	293201	चमड़े के पर्स और बैग
9.	97	293202	चमड़े की फेंसी चीजें और अन्य सजावटी सामान
10.	98	293901	घड़ियों के चमड़े के फीते
11.	99	293903	चमड़े के केस और सभी प्रकार के कवर
12.	100	299004	चमड़े के औद्योगिक दस्तानें
13.	127	303101032	पांच लीटर क्षमता के उत्सारण धमन संचित प्लास्टिक एच डी पी ई/पी वी सी आधा तनन/धमन/अंत:क्षेपण धमन सांचित प्लास्टिक आधानों को छोड़कर
14.	138	303704	प्लास्टिक की संकोच्च ट्यूबें लैमिनेटिड को छोड़कर
15.	149	30390501	कंप्रेशन मोल्डिड प्लास्टिक उत्पाद डेकोरेटिव और इंडस्ट्रीयल लेमिनेट्स को छोड़कर
16.	154	30392809	9 मेडिकल डिस्पोजेबल्स
17.	155	303929021	कान्टैक्ट लैंस उनको छोड़कर जो एनलक से एकीकृत संयंत्र में विनिर्मित किए जाते हैं।
18.	156 A 34	303965	पुल-अप स्पॉउट पोरर
19.	157	31922001	अमोनियम सल्फेट-प्रयोगशाला
20.	158	31922002	अमोनियम फ्लोराइड-प्रयोगशाला

21.	159	31922003	अमोनियम कार्बोनेट – प्रयोगशाला
22.	160	31922004	अंटिमोनी पोटासियम टार्टरेट – प्रयोगशाला
23.	161	31922005	अल्यूमिनियम सल्फेट – प्रयोगशाला
24.	162	31922006	अमोनियम का घोल – प्रयोगशाला
25.	163	31922007	केडयियम एसीटेट – प्रयोगशाला
26.	164	31922008	केडमियम कार्बोनेट – प्रयोगशाला
27.	165	31922010	कैल्शियम क्लोराइड – प्रयोगशाला
28.	166	31922011	क्रोमिक अम्ल – प्रयोगशाला
29.	167	31922012	कोबाल्ट सल्फेट – प्रयोगशाला
30.	168	31922013	कोबाल्ट नाइट्रेट – प्रयोगशाला
31.	169	31922014	क्यूपरिक नाइट्रेट – प्रयोगशाला
32.	170	31922015	क्यूपरिक सल्फेट – प्रयोगशाला
33.	171	31922016	डाइमिथाइल सल्फेट – प्रयोगशाला
34.	172	31922017	फैरस सल्फेट – प्रयोगशाला
35.	173	31922019	लैड एसीटेट – प्रयोगशाला
36.	174	31922020	लैड नाइट्रेट – प्रयोगशाला
37.	175	31922021	मैग्नीशियम ट्राइसिलीकेट – प्रयोगशाला
38.	176	31922022	निकल कार्बोनेट – प्रयोगशाला
39.	177	31922023	निकल फार्मेट – प्रयोगशाला
40.	178	31922024	नाइट्रिक अम्ल – प्रयोगशाला
41.	179	31922025	पोटाशियम नाइट्रेट – प्रयोगशाला
42.	180	31922026	पोटाशियम क्लोराइड – प्रयोगशाला
43.	181	31922027	हाइड्रोक्लोरिक अम्ल – प्रयोगशाला
44.	182	31922028	पोटाशियम आयोडाइड – प्रयोगशाला
45.	183	31922029	पोटाशियम सल्फेट – प्रयोगशाला
46.	184	31922030	सोडियम नाइट्रेट – प्रयोगशाला
47.	185	31922031	सोडियम आक्सोलट – प्रयोगशाला
48.	186	31922032	सोडियम सल्फेट एन हाइड्रस – प्रयोगशाला

49.	187	31922033	सिलिका जेल – प्रयोगशाला
50.	188	31922034	सिल्वर नाइट्रेट – प्रयोगशाला
51.	189	31922035	सल्फ्यूरिक अम्ल गंधक का तेजाब – प्रयोगशाला
52.	190	31922037	एसिटीक एसिड ग्लेसियल – प्रयोगशाला
53.	191	31922038	एसिटीन – प्रयोगशाला
54.	192	31922040	आइसो–एमिल एसीटेट – प्रयोगशाला
55.	193	31922041	एमिल एल्कोहल – प्रयोगशाला
56.	194	31922042	बैंजीन – प्रयोगशाला
57.	195	31922043	ब्यूटिल एल्कोहल– प्रयोगशाला
58.	196	31922044	क्लोरोफार्म – प्रयोगशाला
59.	197	31922045	डीइथाइल ईथर – प्रयोगशाला
60.	198	31922046	इथाईल एल्कोहल– प्रयोगशाला
61.	199	31922047	इथाईल एसीटेट – प्रयोगशाला
62.	200	31922048	आईसो एमिल एल्कोहल दूध के परीक्षण के लिए – प्रयोगशाला
63.	201	31922049	आईसो प्रयोपाइल एल्कोहल – प्रयोगशाला
64.	202	31922050	मेथाइल एल्कोहल – प्रयोगशाला
65.	203	31922051	पैट्रोलियम ईथर (विभिन्न प्रकार के आसवनों के लिए) – प्रयोगशाला
66.	204	31922052	पैट्रोलियम ईथर–क्रोमेटोग्राफी के लिए – प्रयोगशाला
67.	205	31922053	टाल्यूईन–प्रयोगशाला
68.	206	31922054	निकल सल्फेट – प्रयोगशाला
69.	207	31922055	जिंक आक्साइड – प्रयोगशाला
70.	208	31922056	पैरा एमीनोफनोल – प्रयोगशाला
71.	209	31922057	पोटाशियम साइट्रेट– प्रयोगशाला
72.	210	31922058	केडमियम क्लोराईड – प्रयोगशाला
73.	212	312206	सूती वस्त्रों को सफेद करने के पदार्थ
74.	312	314601	केश तेल
75.	326	319923	संश्लिष्ट आसंजक – रबड़, लेटक्स, पी.एफ. एंड पी वी ए, पर आधारित

नाम पद्धति में परिवर्तित वस्तुओं की सूची

क्रम संख्या राजपत्र अधिसूचना के अनुसार	कोड उत्पाद	उत्पाद का नाम वर्तमान	परिवर्तित नामपद्धति (नए उत्पाद कोड सहित)
128	303201	एक्रिलिक चद्दरें	लगातार बहिर्वेधन प्रक्रिया द्वारा के सिवाय एक्रिलिक चद्दरें (42713)
143	303902	पालिए स्ट्रीन फोम उत्पाद (एक्सपेंडेबल पालिएस्ट्रीन बीड्स मैन्युफैक्चरर्स के स्लेबों को छोड़कर)	एक्सपेंडेबल पालिएस्ट्रीन बीड्स से पालिएस्ट्रीन फोम उत्पाद (एक्सपेंडेबल पालिएस्ट्रीन बीड्स) मैन्युफैक्चरर्स के स्लेबों को छोड़कर) (42960)

विपणन के लिए आरक्षण

लघु उद्योग उत्पादों के विपणन के लिए मूल्य एवं क्रय अधिमान नीति

1948 के औद्योगिक नीति संकल्प के अनुसरण में 50 के दशक के आरम्भ में लघु उद्योग क्षेत्र के विकास के लिए तैयार किए गए व्यापक कार्यक्रम में केन्द्रीय और राज्य क्रय संगठनों ने क्रय अधिमान के माध्यम से लघु इकाइयों को विपणन सहायता प्रदान करने पर बल दिया था। बल दिया गया था। इस बात को 1991 में सरकारी नीति में पुन: दोहराया गया था।

पिछले 4-5 दशकों में लघु उद्योग क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था की दृष्टि से कुछ विशिष्ट लाभ प्राप्त हुए हैं, जैसे कम पूँजी निवेश, उच्च रोजग़ार सम्भावना, निर्यात उत्पादन आदि में कम औसत लागत।

I. क्रय अधिमान नीति

लघु उद्योग क्षेत्र को विपणन सहायता के उपाय के रूप में 60 के दशक के अन्त से मदों के आरक्षण के लिए ही खरीद किए जाने की नीति लागू है। 1989 से पूर्व सरकार की भंडार क्रय नीति निम्नलिखित मदों के छ: मुख्य समूहों में वर्गीकृत थी :

समूह-1 ऐसी मदें जो लघु इकाइयों के हित में नहीं हैं तथा जिन्हें बड़ी इकाइयों से ही प्राप्त किया जा सकता है (128 मदें)।

समूह-2 ऐसी मदें जो एकमात्र बड़ी इकाइयों से ही क्रय की जा सकती हैं परन्तु बड़ी इकाइयों द्वारा जिन के उपसाधनों तथा घटकों का जॉब कार्य लघु इकाइयों से करा पाना संभव है (159 मदें)।

समूह-3 ऐसी मदें जो लघु तथा बड़ी दोनों ही औद्योगिक इकाइयों से क्रय की जा सकती हैं।

समूह-4 ऐसी मदें जो केवल लघु इकाइयों से ही क्रय करने के लिए आरक्षित हैं (409 मदें)।

समूह-5 ऐसी मदें जो कुल आवश्यकता के 75 प्रतिशत तक लघु इकाइयों से क्रय की जाएंगी (13 मदें) और

समूह-6 ऐसी मदें जो आवश्यकता के 50 प्रतिशत तक लघु इकाइयों से प्राप्त की जाएंगी (28 मदें)।

तथापि, जुलाई 28, 1989 से सरकार की खरीद नीति में बड़ा संशोधन किया गया है तथा मदों के वर्गीकरण को निम्नलिखित दो बड़े ग्रुपों में सीमित किया गया है :

(i) ऐसी मदें जो केवल के.वी.आई.सी./महिला विकास निगमों/लघु इकाइयों से ही खरीद की जाने के लिए आरक्षित हैं, और

(ii) अन्य मदें जो इस प्रकार से आरक्षित नहीं हैं।

पहले समूह में 409 मदें शामिल हैं, जो पहले केवल लघु क्षेत्र से ही खरीद किए जाने के लिए आरक्षित थीं। लघु उद्योग क्षेत्र से ही खरीद किए जाने के लिए आरक्षित 409 मदों की सूची की समीक्षा की गई और एक ही नामावली वाली मदों को हटाने तथा प्रविष्टियों को और अधिक व्यापक बनाने के साथ-साथ नई मदों को जोड़कर समिति द्वारा 358 मदों की संशोधित सूची का अनुमोदन किया गया (इस समिति का गठन अतिरिक्त मदों को शामिल किए जाने के प्रश्न पर विचार करने के लिए किया गया था) और जिसमें हस्तशिल्प क्षेत्र से खरीद के लिए आरक्षित की गई 8 हस्तशिल्प मदें शामिल हैं।

II. मूल्य अधिमान नीति

लघु उद्योगों को विपणन समर्थन प्रदान करने हेतु केवल लघु क्षेत्र से ही खरीद के लिए उत्पादनों के आरक्षण के रूप में तथा मूल्य अधिमान सरकारी भण्डार क्रय कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता एक प्रमुख साधन है। सरकारी भण्डार क्रय कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्ति एवं निपटान महानिदेशक, भारत सरकार का केन्द्रीय क्रय संगठन, लघु उद्योगों को कई सुविधाएँ प्रदान करते हैं। इनमें शामिल हैं—लघु उद्योग क्षेत्र से ही खरीद के लिए कुछ उत्पादनों का आरक्षण तथा बड़ी एवं लघु, दोनों इकाइयों द्वारा उत्पादन की गई चुनींदा मदों के मामले में 15 प्रतिशत तक मूल्य अधिमान। एन.एस.आई.सी. की एकल बिन्दु पंजीकरण योजना को लघु उद्योग क्षेत्र के लिए विपणन समर्थन के उपाय के रूप में आरम्भ किया गया था। योजना के अन्तर्गत उन लघु उद्योग इकाइयों को जो एन.एस.आई.सी. के साथ पंजीकृत हैं, को निम्नलिखित लाभ दिए जाते हैं :

(i) टेण्डर सेटों की नि:शुल्क उपलब्धता;

(ii) धरोहर राशि जमा की अदायगी से छूट;

(iii) सिक्यूरिटी जमा की अदायगी से छूट;

(iv) बड़ी इकाइयों की न्यूनतम दल पर 15 प्रतिशत तक मूल्य अधिमान (गुण–दोष पर)

इस योजना के अन्तर्गत इकाई को पंजीकृत करते समय एन.एस.आई.सी. द्वारा देश में लघु उद्योग सेवा संस्थानों की सांस्थानिक स्थापना के माध्यम से आवेदक का क्षमता मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित है। उनसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे विनिर्माताओं की क्रेडिट योग्यता/वित्तीय स्थिति के बारे में उनके बैंक से गोपनीय रिपोर्टें प्राप्त करें। इस योजना के अन्तर्गत एन.एस.आई.सी. के साथ पंजीकृत इकाइयों को एक पंजीकरण प्रमाण–पत्र दिया जाता है, जिसमें यह सूचना होती है कि वे किन मदों के लिए पंजीकृत हैं और किस मौद्रिक सीमा तक पंजीकृत हैं।

यह स्पष्ट किया जाता है कि 15 प्रतिशत के मूल्य अधिमान की नीति से लघु उद्योग क्षेत्र को उपलब्ध महत्त्वपूर्ण लाभ है। यह लाभ उक्त क्षेत्र को बड़े उद्योग क्षेत्र के मुकाबले स्केल की अर्थव्यवस्थाएँ उपलब्ध न होने, संसाधनों का कम आधार होने, कच्ची सामग्री तक कम पहुँच होने आदि के सम्बन्ध में प्रतिपूर्ति करने के लिए उपलब्ध कराया जाता है। 15 प्रतिशत के मूल्य तरजीही की नीति एक स्वतन्त्र नीति है और यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को 10 प्रतिशत के मूल्य अधिमान तथा अन्य खरीदों के साथ किसी भी तरह से सम्बद्ध नहीं है।

सामान्य लघु उद्योग उत्पाद शुल्क छूट योजना के अन्तर्गत राजकोषीय रियायतें

लघु उद्योगों की संवृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न राजकोषीय रियायतें दी जाती हैं और सामान्य लघु उद्योग उत्पाद शुल्क छूट योजना इन रियायतों में सबसे महत्त्वपूर्ण है।

सामान्य लघु उद्योग उत्पाद शुल्क छूट योजना के प्रावधान

चूँकि उत्पाद शुल्क विनिर्माण पर लगाया जाने वाला शुल्क है, माल उत्पादित कर रही किसी भी लघु उद्योग इकाई को इसकी अदायगी करनी होती है। सरकार की यह नीति है कि लघु इकाइयों की वृद्धि के लिए उन्हें प्रोत्साहन दिया जाए। तथापि, विभिन्न लघु इकाइयों से राजस्व वसूलना प्रशासनिक तौर पर असुविधाजनक एवं महंगा है, क्योंकि इन इकाइयों से वसूल किया गया राजस्व इस दिशा में किए जानेवाले प्रयासों और प्रशासनिक लागत की तुलना में नगण्य होगा। इस पर विचार करते हुए सरकार ने लघु उद्योगों को कई राजकोषीय रियायतें प्रदान की हैं। इन रियायतों में सबसे प्रमुख दिनांक 1.3.2002 की अधिसूचना संख्या 8/2002 एवं 9/2002 है। ऐसी लघु उद्योग इकाइयाँ, जिनका उत्पादन 3 करोड़ रुपए से कम है, इन रियायतों को प्राप्त करने की हकदार हैं। यदि ये इकाइयाँ सेनवाट ऑन इनपुट्स का लाभ नहीं उठाती हैं तो 100 लाख रुपए तक के उत्पादन पर पूरी तरह से छूट है। (छूट सीमा 50 लाख रु. थी और अगले 50 लाख रु. के लिए वर्ष 1999-2000 तक 5 प्रतिशत के शुल्क की अदायगी करनी होती थी) यदि कोई लघु उद्योग इकाई सेनवाट ऑन इनपुट्स का लाभ उठाती है, तो उसे 100 लाख रु. के टर्नओवर पर साधारण शुल्क के 60 प्रतिशत तथा बाद के निपटानों के लिए सामान्य शुल्क की अदायगी करनी होती है। (वर्ष 1999-2000 तक अदा किया जाने वाला शुल्क प्रथम 50 लाख रु. के लिए 60 प्रतिशत तथा आगामी 50 लाख रु. के लिए 80 प्रतिशत था)

दिनांक 1.3.2002 की छूट अधिसूचना सं. 8/2003 उस समय लागू होती है जब विनिर्माता सेनवाट क्रेडिट का लाभ उठाए बिना छूट सीमा का लाभ उठाना चाहता है। यह अधिसूचना किसी छूट का लाभ उठाए बिना पूरे साधारण शुल्क की अदायगी की अनुमति देती है। दिनांक 1.3.2002 की अधिसूचना सं. 9/2002 उस समय लागू होती है, जब निर्धारित सेनवाट क्रेडिट इनपुट्स का लाभ उठाने का इच्छुक हो।

ऐसा माल जो लघु उद्योग रियायतों का पात्र नहीं है

लघु उद्योग इकाइयों द्वारा विनिर्मित अधिकांश माल सामान्य लघु उद्योग उत्पाद शुल्क छूट का पात्र है। तथापि, कुछ मदें इस छूट की पात्र नहीं हैं (या तो वे विभिन्न अधिसूचनाओं के अन्तर्गत छूट के पात्र हैं या रियायत के बिल्कुल पात्र नहीं हैं) लघु उद्योग उत्पादशुल्क छूट निम्नलिखित सूची में शामिल मदों के लिए उपलब्ध नहीं है :

लघु उद्योग छूट योजना के अन्तर्गत शामिल न किए गए मदों/उत्पादों की सूची

(दिनांक 1.3.2003 की अधिसूचना सं. 8/2003-सी.ई. तथा दिनांक 1.3.2003 की अधिसूचना सं. 9/2003-सी.ई. के अनुबन्ध)

1.	9.02	चाय जिसमें चाय अपशिष्ट भी शामिल है
2.	3301.00	सन्दलबुड आयल
3.	21.06	पान मसाला
4.	2101.10	कॉफी का एक्सट्रैक्ट्स, एसैन्स एवं कान्सेंट्रेट्स
5.	2101.20	चाय का एक्सट्रैक्ट्स, एसैन्स एवं कान्सेंट्रेट्स
6.	24	तम्बाकू एवं निर्मित तम्बाकू प्रतिस्थायी (शीर्ष सं. 24.04 के अन्तर्गत आने वाले च्वइंगटूबाको एवं टूवेको एक्सट्रैक्ट्स एवं अरक

टेरिफ हैडिंग	मद/उत्पादन का नाम
	वाली अनब्राण्डिड च्वइंग टूवेकको से तैयार सामग्री)
7. 3605.90	माचिसें
8. 37.01	फोटोग्राफिक्स मैटीरियल्ज
9. 37.02	फोटोग्राफिक फिल्मस एवं मैटीरियलज
10. 3703.10	फोटोग्राफिक पेपर अथवा पेपर बोर्ड
11. 39 अध्याय 51 से 60 (टैक्सटाइल और टैक्सटाइल की वस्तुएं)	फैबरिक्स अथवा सैक्स की बुनाई के लिए प्लास्टिक्स की पट्टियाँ पोलीयूरेथेन फ़ोम और पोलीयूरेथेन फ़ोम की वस्तुएँ
12. 51(ऊन, परिष्कृत अथवा अपरिष्कृत जन्तु बाल)	अध्याय 51 के अन्तर्गत आने वाला सभी माल परन्तु उप-शीर्ष सं. 5105.30 और 5105.40 तथा शीर्ष सं. 51.08, 51.09, 51.10, 51.11 और 51.12 के अन्तर्गत आनेवाले सामान को छोड़कर (जिसमें शीर्ष सं. 51.10 अथवा 51.11 के अन्तर्गत आने वाली ऊन की बुनी हुई फैबरिक्स शामिल नहीं है)
13. 52 (कॉटन)	अध्याय 52 के अन्तर्गत आने वाला सभी माल (कॉटन वेस्ट यार्न सहित) उप-शीर्ष 52.04 (कॉटन सोइंग थ्रेड) के अन्तर्गत आने वाले माल को छोड़कर और शीर्ष सं० 52.07, 52.08 और 52.09 के अन्तर्गत आने वाले कॉटन फैब्रिक जिन का प्रयोग कॉटन अब्जॉर्बेंट लिंट में किया जाता है।
14. 53 (अन्य वनस्पति टैक्सटाइल फाइबर, पेपर यार्न, ऐसे यार्न की बुनी फैब्रिक्सि)	अध्याय 53 के अन्तर्गत आने वाला सभी माल परन्तु शीर्ष सं. 53.01, 53.02, 53.03, 53.04, 53.05, 53.08, (उप शीर्ष 5308.14 के अन्तर्गत आने वाले माल के अतिरिक्त), 53. 11 (रेमी की बुनी फैब्रिक को छोड़कर)
15. 54 (मानव निर्मित फ्लिामैण्ट्स)	54.01 (मानव निर्मित फ्लिामैण्ट्स का सिलाई धागा) को छोड़कर सभी माल
16. 55 (मानव निर्मित स्टेपल फाइबर)	55.05, 55.08 को छोड़कर सभी माल
17. 56 (वेडिंग, फैल्ट एवं नॉन-वोवनज, स्पेशल यार्न, टवाइन, कॉरडेज, रोपस एवं केब्लज एवं उसकी वस्तुएँ)	प्रथम अनुसूची के अध्याय 56 के अन्तर्गत आनेवाला सभी माल परन्तु शीर्ष सं. 56.01, 56.02, 56.03, 56.04, 56.05, चेनाइले यार्न जो उपशीर्ष सं. 5606.00, 56.07 (जूट को छोड़कर) 56.08 और 56.09 के अन्तर्गत आने वाले माल को छोड़कर
18. 57	सभी माल (कारपैट्स एवं अन्य टैक्सटाइल फ्लौर कवरिंग्ज)
19. 58 (विशेष बुनाई वाली फैब्रिक्स, टफटिड टैक्सटाइल फैबरिक्स, लेस, एम्ब्रायडरी)	प्रथम अनुसूची के अध्याय 58 के अन्तर्गत आनेवाला सभी माल सिवाय शीर्ष सं. 58.03, 58.06, 58.07, 58.08 के अन्तर्गत आनेवाले माल को छोड़कर

	टेरिफ हैडिंग	मद/उत्पादन का नाम
20.	59 (इम्प्रैगनेटिड, कोटिड कवरड अथवा लेमिनेटिड, टैक्सटाइल फैब्रिक एक प्रकार के औद्योगिक प्रयोग के लिए उपयुक्त टैक्सटाइल वस्तुएं।	59.01, 59.05, 59.06, 59.08, 59.09, 59.10, 59.11 तथा टैक्सटाइल्ज फैबरिक्स जो निम्न डेनसिटी पोलीथीलीन, की प्रैपरशनज के साथ कोटिड अथवा लेमिनेटिड हैं, को छोड़कर सभी माल।
21.	60 (निटिड अथवा क्रोचेटिड फैबरिक्स)	प्रथम अनुसूची के अध्याय 60 के अन्तर्गत आने वाला सभी माल सिवाय उस माल के जो उप-शीर्ष 6002.10 के अन्तर्गत तथा शीर्ष सं. 60.01 अथवा 60.02 के अन्तर्गत आने वाले किसी प्रोसेस के अधीन नहीं है, मानव निर्मित काटन के फैब्रिक्स
	61	उपशीर्ष सं. 6101.00 और 6201.00 के अन्तर्गत आने वाली परिधान की वस्तुएं। (सिवाय (क) रेन कोट, (ख) अंडर गार्मेंटस, जिन में ब्रेजियर, पेंटीज, ब्रीफ, गिर्डल, कॉर्सेट, स्लिप, वेस्ट, सिंग्लेट्स, पेटीकोट, ब्रेस, ससपेंडर, गार्टर और इसी प्रकार की वस्तुएं शामिल हैं, तथा (ग) हैण्डलूम फैब्रिक से बनाई गईं परिधान की वस्तुएं।)
22.	63	ऊन के कम्बल और टेरी टॉवल
23.	69	अध्याय 69 के अन्तर्गत सेरामिक टाइल्ज
24.	72	अध्याय 72 के अन्तर्गत स्टेंलैस स्टील की पैट्टीस/ पट्टास।
25.	74 (कॉपर तथा उसका सामान)	(1) सभी माल जो निम्न के अन्तर्गत आता है : (क) शीर्ष सं. 74.03, परन्तु उप-शीर्ष 7403.21 के अन्तर्गत आने वाले निम्न को छोड़कर : (i) तीन फुट तक की लम्बी कॉस्ट ब्रास ब्रार्ज/रॉडज (ii) उप-शीर्ष 7408.29 के अन्तर्गत आने वाली वायरज बनाने के लिए उत्पादन कर रही फैक्टरी में प्रयुक्त होने वाली दस फुट तक की लम्बी कॉस्ट ब्रास बार्ज / रॉडज (iii) शीर्ष 74.09 के अन्तर्गत आने वाले कॉपर स्ट्रिप्स बनाने के लिए प्रयुक्त अधिकतम 2 कि.ग्रा. के भार की कॉपर फ्लैटस (iv) 5 कि.ग्रा. तक के भार की ब्रास बिलेटस (ख) शीर्ष सं. 74.09 (अधिकतम दो कि.ग्राम भार की कॉपर फ्लैटस से निर्मित कॉपर स्ट्रिप्स को छोड़कर) (ग) उप-शीर्ष सं. 7407.11, 7407.12, 7408.11, 7408.21 और

टेरिफ हैडिंग	मद/उत्पादन का नाम
	(2) कॉपर सर्किल्ज, ट्रीमेड अथवा ट्रीमेडरहित
26. 76 (ऐलुमिनियम तथा उसका सामान)	ऐलुमिनियम सर्किल्ज, ट्रीमेड अथवा ट्रीमेडरहित
27. 87 (रेलवे अथवा ट्रामवे रॉलिंग-स्टॉक से भिन्न वाहन तथा उसके पार्ट्स एवं उपकरण)	शीर्ष सं. 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 87.06 तथा 87.11 के अन्तर्गत आनेवाला सभी माल (पावरड साइकिल अथवा साइकिल रिक्शा के अलावा (पावरड साइकिल अथवा पावरड रिक्शा से अभिप्राय है यांत्रिक चालित साइकिल अथवा, जैसा भी मामला हो, यांत्रिक-चालित साइकिल रिक्शा, जैसा यदि आवश्यक हो तो पैडल से भी चलाया जा सकता है)
28. 91.01	हाथ की घड़ी, पॉकेट घड़ी तथा अन्य घड़ियाँ, जिनमें स्टॉप घड़ियाँ, मूल्यवान धातु अथवा मूल्यवान धातु से ढकी हुई डिब्बी शामिल है।
29. 91.02	हाथ की घड़ी, पॉकेट घड़ी तथा अन्य घड़ियाँ, जिनमें शीर्ष सं. 91.01 से भिन्न अन्य स्टॉप घड़िया शामिल हैं।
30. 93 (हथियार एवं गोला बारूद, उसके पार्ट्स एवं उपकरण)	शीर्ष सं. 93.02, 93.03, 93.04 के अन्तर्गत आने वाला सभी माल(सिवाय एयर-गन, एयर-राइफल्ज एवं एयर-पिस्टल्ज जिन्हें आर्म्स एक्ट, 1959 के प्रावधानों से छूट प्राप्त है), 93.06 एवं 93.07 (शीर्ष संख्या 93.06 अथवा 93.07 के अन्तर्गत आने वाले पार्ट्स को छोड़कर)
31. 9605.10	वैयक्तिक टॉयलैट के लिए ट्रैवल सैट्स

* टिप्पणी : यह सूची केवल निदर्शी है और अधिक जानकारी के लिए अधिसूचना देखें।

लघु उद्योग छूट हेतु पात्र लघु उद्योग इकाइयाँ

सभी उद्योग, उनके निवेश अथवा कर्मचारियों की संख्या से निरपेक्ष, इस छूट के पात्र हैं। वास्तविक रूप से, एक भारी उद्योग भी छूट के लिए पात्र होगा, यदि इसका वार्षिक टर्नओवर 3 करोड़ रु. से कम है। लघु उद्योग इकाइयों को किसी भी प्राधिकार से पंजीकृत किए जाने की आवश्यकता नहीं है। छूट प्राप्त करने के लिए लागू शर्तें नीचे व्याख्यायित हैं:

(क) **छूट तभी उपलब्ध है, यदि विगत वर्ष में कुल बिक्री 3 करोड़ रु. से कम थी**—एक इकाई छूट के लिए तभी पात्र है, यदि उसकी विगत वर्ष में कुल बिक्री 3 करोड़ रुपए से कम थी। वे इकाइयाँ जिनकी 2002-2003 में कुल बिक्री 3 करोड़ रु. से अधिक थी, वे 2003-2004 में किसी लघु उद्योग छूट की पात्र नहीं हैं। उन्हें पूरे सामान्य शुल्क की अदायगी करनी होगी। इसी प्रकार, किसी अन्य 'ब्रांड नेम' के तहत विनिर्मित सामान भी इसके पात्र नहीं हैं।

(ख) **कुल बिक्री का संयुक्तिकरण (i)** यदि किसी विनिर्माता की एक से अधिक फैक्टरियाँ (विभिन्न स्थानों पर भी) हैं, तो रु. 100 अथवा 300 लाख की लघु उद्योग छूट सीमा की गणना हेतु उस विनिर्माता की सभी फैक्टरियों की कुल बिक्री का संयुक्तिकरण किया जाएगा।

(ii) यदि एक ही फैक्टरी से एक से अधिक विनिर्माता सामान की निकासी करते हैं, उदाहरणत: फैक्टरी का एक भाग एक विनिर्माता द्वारा इस्तेमाल में लाया जाता है और दूसरा, दूसरे विनिर्माता द्वारा उपयोग में लाया जाता है, तो ऐसे मामले में, 100 अथवा 300 लाख रु. की लघु उद्योग छूट सीमा की गणना हेतु, यद्यपि निकासी विभिन्न विनिर्माताओं की हो, तथापि समग्र निकासी को एक ही फैक्टरी से समझा जाएगा।

(iii) एक विनिर्माता फैक्टरी का उपयोग वर्ष के एक भाग में करता है, और फिर दूसरा विनिर्माता वर्ष के शेष भाग में उसी फैक्टरी का उपयोग करता है, तो ऐसे मामले में, 100 अथवा 300 लाख रु. की लघु उद्योग छूट सीमा की गणना हेतु विभिन्न विनिर्माताओं की कुल बिक्री को एक साथ संयुक्तिकरण किया जाएगा।

(ग) **सभी फैक्टरियों के लिए छूट प्राप्त करना**—यदि किसी विनिर्माता की एक से अधिक फैक्टरियाँ हैं; तो उसे सभी फैक्टरियों के सन्दर्भ में यह विकल्प प्राप्त होगा। वह एक फैक्टरी के सन्दर्भ में कैनवेट का और दूसरी के सन्दर्भ में लघु उद्योग छूट प्राप्त करने का चयन नहीं कर सकता, जैसे कि स्लैबवाइज़ एक विनिर्माता की एक साथ सभी फैक्टरियों के लिए है।

(घ) **विभिन्न प्रकार की छूटों का विकल्प**—लघु उद्योग इकाइयों को तीन प्रकार की छूटें दी गई हैं :

- इकाइयाँ 100 लाख रु. तक की पूर्ण छूट प्राप्त कर सकती हैं, और तत्पश्चात् सामान्य शुल्क अदा कर सकती हैं। इस प्रकार की इकाइयाँ, वित्त वर्ष में 100 लाख रु. की कुल बिक्री तक पहुँचने के बाद ही, इनपुटों पर कैनवेट क्रेडिट प्राप्त कर सकती हैं।
- इकाइयाँ, जो सारी कुल बिक्री के इनपुटों पर कैनवेट क्रेडिट प्राप्त करने की इच्छुक हैं। इस प्रकार की इकाइयों को पहले 100 लाख रु. के लिए 60% शुल्क और तदन्तर निकासी के लिए 100% शुल्क अदा करना होता है।
- इकाइयाँ 100% शुल्क अदा करके, कैनवेट क्रेडिट भी प्राप्त कर सकती हैं।

तथापि, यह नोट किया जाना चाहिए, यदि एक लघु उद्योग इकाई कैनवेट क्रेडिट प्राप्त करने की इच्छुक है, तो उसे विकल्प की सूचना दे देनी चाहिए। प्रथम विकल्प, अर्थात् 100 लाख रु. तक शून्य शुल्क एवं तदनन्तर निकासी के लिए सामान्य शुल्क ऑटोमैटिक है। तथापि यदि इकाई दूसरे अथवा तीसरे विकल्प (अर्थात् 60% /100% शुल्क अदा करना) को प्राप्त कराना चाहती है, तो इस विकल्प की सूचना विभाग को दी जानी चाहिए। यदि इकाई एक बार छूट से बाहर रहना पसन्द करती है, तो उसे वित्त वर्ष के दौरान सभी निकासियों पर शुल्क अदा करना होगा।

लघु उद्योग उत्पाद शुल्क में खण्ड

लघु उद्योग उत्पाद शुल्क में निम्नलिखित खण्ड हैं :

(i) **100 लाख रु. का प्रथम खण्ड :** यदि लघु उद्योग

इकाई इनपुटों पर कैनवेट क्रेडिट प्राप्त नहीं करती है, तो प्रत्येक वर्ष पहली अप्रैल से, 100 लाख रु. की प्रथम निकासी तक उत्पाद शुल्क से पूरी छूट है। यदि कोई लघु उद्योग इकाई विभिन्न चेप्टर शीर्षों के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ विनिर्मित करती है या विभिन्न फैक्टरियों में निर्मित करती है तो सभी चेप्टर्स की और एक निर्माता की सभी फैक्टरियों की सम्मिलित निकासी 100 लाख रु. होगी तथापि यदि इकाई इनपुट्स पर कैनवेट क्रेडिट का लाभ प्राप्त करती है तो इकाई को 60% सामान्य शुल्क देना होगा।

(ii) प्रथम 100 लाख रु. के पश्चात द्वितीय खण्ड : कुल विक्रय 100 लाख रु. से अधिक होने पर पूर्ण सामान्य शुल्क दिया जाना है। लघु उद्योग इकाई विक्रय के 100 लाख रु. से अधिक होने के पश्चात प्रयुक्त इनपुट्स के सम्बन्ध में सैनवेट क्रेडिट का लाभ प्राप्त कर सकती है। यदि किसी इकाई का कुल विक्रय 3 करोड़ रु. से अधिक भी हो जाता है तो भी उसे सामान्य दर पर शुल्क अदा करना होगा।

अनुमेय / गैर-अनुमेय संयोजन

उपर्युक्त का सारांश यह है कि निम्न परम्यूटेशन तथा कॉम्बिनेशन्स अनुमेय हैं।

- प्रथम 100 लाख रु. पर कोई शुल्क नहीं, बाद की निकासियों पर सामान्य शुल्क-इनपुट्स पर सैनवेट 100 लाख रु. के पश्चात ही होगा।
- प्रथम 50 लाख रु. पर कोई शुल्क नहीं, अगले 50 लाख रु. पर 60% की दर से शुल्क तथा बाद की निकासियों पर सामान्य शुल्क इनपुट्स पर सेनवैट 50 लाख रु. के पश्चात् ही होगा।
- प्रथम 100 लाख रु. पर 60% शुल्क, बाद की निकासियों पर सामान्य शुल्क सैनवेट सभी निकासियों के इनपुट्स पर।
- सभी निकासियों पर सामान्य शुल्क—सभी निकासियों के इनपुट्स पर सैनवेट।
- प्रथम 20 लाख रु. पर सामान्य शुल्क, अगले 80 लाख रु. पर 60% शुल्क, शेष निकासियों पर सामान्य शुल्क—सभी निकासियों के इनपुट्स पर कैनवेट,
- प्रथम 70 लाख रु. पर सामान्य शुल्क, अगले 30 लाख रु. पर 60% शुल्क और शेष निकासियों पर सामान्य शुल्क, सैनवेट सभी निकासियों के इनपुट्स पर
- प्रथम 30 लाख रु. पर कोई शुल्क नहीं, बाद की निकासियों पर सामान्य शुल्क, इनपुट्स पर सैनवेट 30 लाख रु. के पश्चात् ही होगा।
- प्रथम 40 लाख रु. पर कोई शुल्क नहीं, अगले 60 लाख रु. पर 60% की दर से शुल्क, बाद की निकासियों पर सामान्य शुल्क, 40 लाख रु. के पश्चात ही इनपुट्स पर सैनवेट होगा।

संक्षेप में, रियायती शुल्क (शून्य%) से पूर्ण शुल्क में परिवर्तन किसी भी समय अनुमेय है परन्तु वित्त वर्ष के दौरान इसके व्युत्क्रम की अनुमति नहीं होगी।

बीजक के एक भाग के लिए छूट का लाभ लिया जा सकता है—ऐसा सम्भव है कि एक बीजक में कुछ वस्तुएँ एक स्लैब खण्ड तथा कुछ वस्तुएँ दूसरे स्लैब (खण्ड) की हों। ऐसी स्थिति में मात्र अधिक मूल्य ही उच्च दर पर उगाहे जाने योग्य होगी।

यदि इनपुट पर सैनवेट का लाभ लिया जाता है तो आंशिक छूट—100 लाख रु. तक पूर्ण छूट तभी दी जाएगी यदि इकाई इनपुट्स पर सैनवेट क्रेडिट का लाभ नहीं लेती है। तथापि इकाई यदि सैनवेट क्रेडिट का लाभ लेना प्रारम्भ कर देती है और शुल्क अदा करती है (प्रथम 100 लाख रु. पर 60% तथा बाद की निकासियों पर 100% शुल्क) तो यह वर्ष भर लघु उद्योग रियायती दर का लाभ नहीं उठा सकती। तथापि सैनवेट का लाभ लेने तथा 60% शुल्क अदा करने के विकल्प का लाभ वर्ष में कभी भी ले सकते हैं। सी.बी.ई. एण्ड सी. परिपत्र संख्या–बी–41/2/97–टी.आर.यू. दिनांक 14–7–97

पूँजीगत मदों पर अनुमेय सैनवेट—यदि कोई लघु उद्योग इकाई लघु उद्योग छूट का लाभ ले रही है और इनपुट्स पर सैनवेट का लाभ नहीं ले रही तो भी यह पूँजीगत मदों पर सैनवैट क्रेडिट का लाभ ले सकती है। तथापि, पूँजीगत वस्तुओं पर सैनवेट क्रेडिट का उपयोग विक्रय के 100 लाख रु. से अधिक होने के पश्चात् ही किया जा सकता है।

यदि पूँजीगत वस्तुएँ उस अवधि के दौरान प्राप्त की जाती हैं जब विक्रय 100 लाख रु. से कम था तो यह विक्रय के 100 लाख रु. से अधिक होने के बाद ऋण ले सकती है। इसे पूँजीगत वस्तुओं के खाते पर सैनवेट क्रेडिट में उपयुक्त

प्रविष्टियाँ कर देनी चाहिए परन्तु खाते में नामे करना तभी प्रारम्भ करना चाहिए जब विक्रय 100 लाख रु. से अधिक बढ़ जाए। यदि इकाई 60% की दर से शुल्क अदा करती है या 100% की दर से सामान्य शुल्क तो यह बिना किसी प्रतिबन्ध के इनपुट्स तथा पूँजीगत वस्तुओं दोनों पर सैनवेट का लाभ उठा सकती है तथा उपयोग कर सकती है। तथापि यदि कुछ वस्तुएँ लघु उद्योग छूट में पहली बार शामिल की गई हैं तो वे उस दिनांक से ही 'निर्दिष्ट वस्तुएँ' बन जाती है और इस प्रकार लघु उद्योग छूट सीमा में गिने जाने के लिए उस दिन से पूर्व की बिक्री पर विचार नहीं किया जाएगा।

लघु उद्योग छूट सीमा की गणना वर्ष के प्रारम्भ से ही की जानी है—लघु उद्योग अधिसूचनाओं में स्पष्ट रूप से 'प्रथम निकासी किसी भी वित्त वर्ष में एक अप्रैल को या उसके बाद' शब्दों का प्रयोग होता है। इस प्रकार यदि कुछ वस्तुओं की निकासी शुल्क अदा करने के पश्चात् होती है तो उन्हें भी 100 लाख रु. की सीमा की गणना करने में शामिल किया जाना होगा। दूसरे शब्दों में छूट सीमा की गणना करते समय सभी प्रकार की निकासियों पर विचार किया जाएगा, शुल्क अदायगी सहित या उसके बिना।

रियायत का लाभ उठाए बिना लघु उद्योग को पूरा शुल्क अदा करने का विकल्प—किसी भी लघु उद्योग इकाई को रियायती शुल्क अदा करने का हकदार होने पर भी पूरा शुल्क अदा करने की स्वीकृति दी जाती है। यह निवेश के साथ-साथ पूँजीगत माल का लाभ उठा सकती है और सेनवाट का उपयोग कर सकती है। एक बार विकल्प का चयन करने के बाद वर्ष के दौरान इसे बदला नहीं जा सकता है। आंशिक निपटान पर पूरा शुल्क अदा करने तथा निपटान की शेष राशि पर रियायती शुल्क अदा करने की अनुमति नहीं है। यह विकल्प ऐसी लघु उद्योग इकाइयों के लिए लाभदायक है, जो लघु उद्योग द्वारा अदा किए गए शुल्क के सेनवाट का लाभ उठाने वाली अन्य इकाइयों को माल सप्लाई कर रही है। यदि यह सुविधा लघु उद्योग को उपलब्ध नहीं है तो लघु उद्योग इकाइयों द्वारा प्रयुक्त निवेश पर अदा किया गया शुल्क कैनवट क्रेडिट के लिए उपलब्ध नहीं है।

निर्यात की छूट

100/300 लाख रु. के टर्नओवर की गणना करते समय लघु उद्योग इकाइयों के कुछ टर्नओवर पर विचार नहीं किया जाता है, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है :

(i) *शामिल न किया जाने वाला निर्यात टर्नओवर*—100 लाख रु. और 300 लाख रु. की सीमाएँ गृह उपभोग अर्थात भारत के भीतर निपटान के लिए हैं। 100 लाख रु. और 300 लाख रु. के टर्नओवर की गणना करने के प्रयोजन के लिए निर्यात टर्नओवर पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। तथापि, नेपाल और भूटान के निर्यातों को अलग नहीं किया जा सकता है अर्थात 100 लाख रु. और 300 लाख रु. की सीमा की गणना करते समय नेपाल और भूटान के निर्यात टर्नओवर को इसमें जोड़ लिया जाता है। इसे गृह उपभोग के लिए 'निपटान' के रूप में ही माना जाता है चाहे वास्तव में यह 'निर्यात' ही क्यों न हो।

(ii) *मरचैण्ट एक्सपोर्टर के माध्यम से बाण्ड के अन्तर्गत निर्यात*—यदि निर्यात गृह के माध्यम से शुल्क की अदायगी किए बिना बाण्ड के अन्तर्गत निर्यात किए जाएँ तो उन पर लघु उद्योग छूट सीमा के लिए विचार नहीं किया जाएगा अर्थात छूट दिए गए टर्नओवर की गणना करने के लिए उन्हें अलग रखा जाएगा। यह इस कारण है, क्योंकि यह निपटान 'गृह उपभोग' के लिए नहीं है।

(iii) *माने गए निर्यातों को शामिल नहीं किया जाएगा*—लघु उद्योग छूट अधिसूचना के लिए निपटानों के मूल्य की गणना करते समय माने गए निर्यातों के मूल्य को शामिल नहीं किया जाना है, चूँकि माने गए निर्यात सभी निर्यात लाभों को पाने के हकदार हैं।

100 लाख रुपए की प्रथम निकासी का परिकलन

कुल 100 लाख रुपए तक की प्रथम निकासियों का सकल मूल्य सुनिश्चय करने के लिए निम्नलिखित निकासियों को लेखा में नहीं लिया जाएगा :

(क) ऐसी निकासियां, जिनपर किसी भी अधिसूचना के अधीन अथवा किसी अन्य कारण से उत्पाद शुल्क देय नहीं है, पूरे उत्पाद से छूट मिली हुई है।

(ख) ऐसी निकासियां जिन पर किसी अन्य व्यक्ति का ब्रांडनाम या व्यापार नाम है, जो इस छूट अनुदान की पात्र नहीं हैं।

(ग) विनिर्दिष्ट मामलों की निकासियां, जिन का प्रयोग विनिर्दिष्ट मालों के उत्पादन के कारखाने के भीतर विनिर्दिष्ट मालों के आगे विनिर्माण के लिए निवेशों

के रूप में किया जाता है;

(घ) एथाइलीन या प्रॉपोलीन के बने थैलों या बैंगों के विनिर्माण के लिए या फैब्रिकों के व्यूतन के लिए उत्पादन के कारखाने के भीतर प्रयुक्त प्लास्टिक की पट्टियों की निकासियां।

300 लाख रुपए की कुल बिक्री पात्रता की सीमा का परिकलन

देशी उपभोग के लिए सभी उत्पाद शुल्क देय निकासियों का सकल मूल्य सुनिश्चय करने के लिए निम्नलिखित निकासियों को लेखा में नहीं लिया जाएगा; अर्थात् —

(क) बिना शुल्क दिए उत्पाद शुल्क संदेय की निकासियां —

(i) फ्री ट्रेड जोन में स्थित इकाई; या

(ii) स्पैशल इक्नॉमिक जोन में स्थित इकाई; या

(iii) शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम; या

(iv) इलैक्ट्रोनिक हाईवेयर टैक्नॉलोजी पार्क अथवा साफ्टवेयर टैक्नॉलोजी पार्क में स्थित इकाई; या

(v) उनके सरकारी प्रयोग के लिए संयुक्त राज्य या अन्तरराष्ट्रीय संगठन को पूर्ति या उनके द्वारा निधिक परियोजनाओं की पूर्ति, जिन पर भारत सरकार, वित्तमंत्रालय (व्यय विभाग) संख्या 108/95-केन्द्रीय उत्पादशुल्क, दिनांक 28 अगस्त, 1995 की अधिसूचना के अधीन उत्पादशुल्क की छूट है।

(ख) ऐसी निकासियां जिन पर किसी अन्य व्यक्ति का ब्रांडनाम या व्यापार नाम है, जो इस छूट अनुदान की पात्र नहीं हैं।

(ग) विनिर्दिष्ट मालों की निकासियों, जिनका प्रयोग विनिर्दिष्ट मालों के उत्पादन के कारखाने के भीतर विनिर्दिष्ट मालों के आगे विनिर्माण के लिए निवेशों के रूप में किया जाता है।

(घ) एथाइलीन या प्रॉपोलीन के बने थैलों या बैंगों के विनिर्माण के लिए या फैब्रिकों के व्यूतन के लिए उत्पादन के कारखाने के भीतर प्रयुक्त प्लास्टिक की पट्टियों की निकासियां।

लघु उद्योग क्षेत्र को क्रेडिट सहायता

लघु उद्योग क्षेत्र के लिए क्रेडिट लाइफ लाइन है। लघु उद्योग क्षेत्र की सतत वृद्धि के लिए क्रेडिट की समयबद्ध एवं पर्याप्त उपलब्धता अनिवार्य है। लघु उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में क्रेडिट सहायता, न केवल उद्यमों को चलाने अथवा प्रचालनात्मक आवश्यकताओं के लिए अपेक्षित है अपितु विविधीकरण, आधुनिकीकरण/सुविधाओं के उन्नयीकरण, क्षमता विस्तार इत्यादि के लिए भी आवश्यक है।

लघु उद्यम, अधिकतर वैयक्तिक उद्यमियों द्वारा स्वाम्य प्रतिष्ठान अथवा भागीदारी के अन्तर्गत स्थापित किए जाते हैं। कमजोर आर्थिक आधार, सीमित आर्थिक संसाधन इत्यादि स्पष्ट दबावों के कारण, इस प्रकार के उद्यम, उद्यमों को सुदृढ़ आर्थिक रेखाओं पर चलाने, विस्तार करने अथवा आधुनिक बनाने अथवा अस्थायी विपत्ति के समय का सामना करने हेतु स्वयं अपने फण्डों को पर्याप्त रूप से बढ़ाने की स्थिति में नहीं है। लघु उद्योग, चल रहे उद्यम में अपने अधिकतम लाभों को पुन: कारोबार में लगाने की अयोग्यता के कारण, पूँजी बनाने के मामले में अभाव एवं अनुपयुक्तता है।

आवश्यकता एवं उपलब्धता के बीच के निर्णायक अन्तराल को संस्थानिक विल के तन्त्र के माध्यम से भरा जा सकता है। वित्तपोषण को अधिक लघु उद्योग उद्यमों द्वारा सबसे अधिक दबाव डालने वाले इनपुट प्रतिबन्ध के रूप में देखा जाता है।

सभी प्रकार के उद्यमों और सभी आकारों के उद्यमों की वित्तीय आवश्यकताएँ एक-सी नहीं होती हैं। माइक्रो और अति लघु उद्यमों और उन उद्यमों जो सेवा एवं व्यापार क्रियाकलापों में संलग्न हैं, की वित्तीय आवश्यकताएँ भावी लघु उद्यमों और विनिर्माण क्रियाकलापों में संलग्न उद्यमों से बहुत कम हैं। जैसे-जैसे फर्म आकार एवं संघटना में बढ़ती जाती है, उनकी वित्तीय आवश्यकताएँ भी बदलती जाती हैं। निश्चित एवं कार्यशील पूँजी की आनुपातिक महत्ता एवं प्रत्येक का आकार भी परिवर्तित होता है। वृद्धि न केवल बिल के औपचारिक एवं अनौपचारिक स्रोतों के आनुपातिक महत्त्व को प्रभावित करती है, वरन् फर्म के विकास के लिए आनुपातिक सहयोग को भी प्रभावित करती है।

यद्यपि वित्तीय आवश्यकताओं के प्रमुख भाग की व्यवस्था उद्यमों द्वारा स्वयं की जाती है, तथापि इन वर्षों में संस्थानिक क्रेडिट के महत्त्व एवं सहयोग में भी वृद्धि हुई है। डिबैन्चर्स, वित्तीय संस्थान, बैंकों और अन्य स्रोतों से उधार लिए गए फण्डों का महत्त्व बढ़ता जा रहा है। इस तथ्य को पहचानते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई.) यह सुनिश्चित करने में, कि बढ़ती वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति बैंकों द्वारा की जा सके, निर्णायक भूमिका निभा रहा है, और इसके लिए आवश्यक दिशानिर्देश जारी करने के अतिरिक्त, क्रेडिट के प्रवाह का निरन्तर अनुवीक्षण भी किया जा रहा है। इस सन्दर्भ में, लघु उद्योग क्रेडिट हेतु 1990 से पुनर्वितरण एजेन्सी के रूप में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) की भूमिका का उल्लेख किया जाना भी अनिवार्य है। इसी प्रकार, ग्रामीण क्षेत्रों में नाबार्ड और के.वी.आई.सी. ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों का संवर्धन कर रहे हैं।

लघु उद्योग क्षेत्र को क्रेडिट प्रवाह के संवर्धन हेतु सरकार की पहलें

लघु उद्योग क्षेत्र को क्रेडिट प्रवाह का संवर्धन सरकार का निरन्तर प्रयास रहा है। सरकार ने इस दिशा में समय-समय पर उचित नीतियों एवं कार्यक्रमों का संरूपण किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई.) लघु उद्योग क्षेत्र से सम्बन्धित क्रेडिट नीतियों के संरूपण एवं कार्यान्वयन में प्रमुख एवं अत्यावश्यक भूमिका निभा रहा है।

प्राथमिक क्षेत्र उधार

बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र उधार के भाग के रूप में लघु उद्योग क्षेत्र को क्रेडिट सुनिश्चित किया गया है।

संस्थानिक व्यवस्था :

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) शीर्ष पुनर्वित्तयन बैंक है। राज्य वित्तीय निगमों (एस.एफ.सीज़), अनुसूचित बैंकों, लघु उद्योग विकास निगमों (एस.आई.डी.सीज़) द्वारा सावधि ऋण प्रदान किए जाते हैं; प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपों में क्रेडिट लेंडिग का भी कुछ मात्रा में नाबार्ड, एन.एस.आई.सी. आदि द्वारा कार्य किया जाता है।

नीचे दी गई तालिका, 1998 से सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से लघु उद्योग क्षेत्र को क्रेडिट के प्रवाह के सम्बन्ध में स्थिति को दर्शाती है :

(रु. करोड़ में)

	मार्च के अन्त तक की स्थिति के अनुसार				
	1998	1999	2000	2001	2002
कुल बैंक क्रेडिट	218219	246203	292943	340888	396954
लघु उद्योगों को कुल अग्रिम	38109	42674	45788	48445	49743
कुल बैंक क्रेडिट के लिए %	17.50	17.30	15.60	14.20	12.50
लघु उद्योग एकाउंट्स की संख्या (लाख में)	29.64	26.24	22.72	22.80	उपलब्ध नहीं

उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि, कुल बैंक अग्रिमों के सम्बन्ध में, लघु उद्योग क्षेत्र के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अग्रिम में 1998 में 17.5% से 2002 में 12.5% तक कमी आ गई है। लघु उद्योग एकाउन्ट्स की संख्या भी 1998 में 29.64 लाख से घटकर 2001 में 22.80 लाख तक आ गई है।

अतिलघु क्षेत्र को क्रेडिट

आर.बी.आई. के विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार, लघु उद्योग को जानेवाले प्राथमिक क्षेत्र उधार का 40%, प्लांट और मशीनरी में 5 लाख रु. तक के निवेश सहित अतिलघु क्षेत्र को उपलब्ध कराया जाना चाहिए, और अन्य 20%, प्लाण्ट एवं मशीनरी में 5 लाख रु. और 25 लाख रु. के बीच निवेश सहित अतिलघु इकाइयों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

नीचे दी गई तालिका, 1998 से अतिलघु क्षेत्र को क्रेडिट की स्थिति दर्शाती है :

(करोड़ रु. में)

	मार्च 98 के अन्त तक	मार्च 99 के अन्त तक	मार्च 00 के अन्त तक	मार्च 01 के अन्त तक	मार्च 02 के अन्त तक
अति लघु उद्योग क्षेत्र को कुल बैंक क्रेडिट	10273.13*	8837.47*	24742**	26019**	27030
कुल लघु उद्योग क्रेडिट के प्रतिशत के रूप में अति लघु क्रेडिट	27.00	20.70	54.03	53.70	54.34

* प्लांट और मशीनरी में 5 लाख रु. तक के निवेश सहित अतिलघु इकाइयों के सन्दर्भ में।

** प्लांट और मशीनरी में 25 लाख रु. तक के निवेश सहित अतिलघु इकाइयों के सन्दर्भ में।

सिडबी द्वारा सहायता

संसद के अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने अपना कार्य 2 अप्रैल, 1990 से आरम्भ किया। लघु उद्योग क्षेत्र को वित्तीय सहायता के विस्तार के अतिरिक्त, सिडबी इसी प्रकार की गतिविधियों में संलग्न संस्थानों के कार्यों में भी समन्वय स्थापित करता है। लघु उद्योगों हेतु शीर्ष संस्थान के रूप में, बैंक के प्रमुख कार्य संवर्धनात्मक एवं विकासात्मक क्रियाकलापों से अनुपूरित होते हैं। सिडबी का, सामान्य रूप से, लघु उद्योग क्षेत्र की क्रेडिट आवश्यकताओं को पूरा करने, और विशेष रूप से, उभरते क्षेत्रों जैसे प्रौद्योगिकी उन्नयनीकरण, वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, माइक्रो उद्यम, निर्यात संवर्धन आदि कार्यों पर बल देना, जारी है।

सिडबी द्वारा 1990-91 से 2000-2001 के दौरान प्रदान की गई सहायता की प्रमात्रा आगे दी गई है :

(रु. करोड़ में)

वर्ष	संस्वीकृतियाँ	वृद्धि (%)	संवितरण	वृद्धि (%)
1990-91	2410	-	1839	-
1991-92	2847	18.1	2028	10.3
1992-93	2909	2.2	2146	5.8
1993-94	3356	15.4	2673	24.5
1994-95	4706	40.2	3390	26.8
1995-96	6066	28.9	4801	41.6
1996-97	6485	6.9	4585	-4.5
1997-98	7484	15.4	5241	14.3
1998-99	8880	18.6	6285	19.9
1999-00	10265	15.6	6964	10.8
2000-01	10821	5.4	6441	-7.5
संचयी मार्च 2001 के अंत तक	66229	सं.वा.वृ.द. 16.2 (1990-2001)	46393	सं.वा.वृ.द.13.4 (1990-2001)

सं.वा.वृ.द.—संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर

राज्य वित्तीय निगमों (एस.एफ.सीज.) द्वारा सहायता

एस.एफ.सीज. अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित राज्य वित्तीय निगम, ऋण प्रदान करने और उनकी ईक्विटी में भागीदारी के द्वारा लघु और मझौले उद्योगों के विकास के माध्यम से देश में क्षेत्रीय वृद्धि के संवर्धन हेतु क्षेत्रीय वित्तीय एजेंसी के रूप में सेवा करने हेतु अधिशेष किए गए थे। वर्तमान में, कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित तमिलनाडु औद्योगिक निवेश निगम लि. सहित 18 एस.एफ.सीज. हैं। एस.एफ.सीज. विविध क्षेत्र के क्रियाकलापों जैसे नई इकाइयों की स्थापना हेतु सावधि ऋणों का विस्तार करना, प्रसारण, विद्यमान इकाइयों का आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयनीकरण रुग्ण इकाइयों का पुनरुद्धार और ईक्विटी आधारित सहायता प्रदान करना में संलग्न हैं। सिडबी की सहायता की योजनाओं के अनुसार, एस.एफ.सीज. को पुनर्विनयन सुविधा उपलब्ध है। आर्थिक सुधारों की शुरुआत से, कुछ एस.एफ.सीज. ने अपने क्रियाकलापों का, निवेश पर बल और कैपिटल मार्किट कार्यों के रूप में विविधीकरण कर लिया है।

आगे दी गई तालिका, एस.एफ.सीज. द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र को, 1991 से वर्षवार संस्वीकृत सहायता को दर्शाती है :

(रु. करोड़ में)

मार्च के अन्त तक की स्थिति अनुसार	लघु उद्योग क्षेत्र को संस्वीकृत राशि
1991	1492
1992	1872
1993	1686
1994	1561
1995	1920
1996	2513
1997	2115
1998	1768
1999	1365
2000	1617

संघ बजट एवं व्यापक नीति गत पैकेज में की गई घोषणाओं के माध्यम से लघु उद्योग क्षेत्र के लिए क्रेडिट प्रवाह में सुधार के उपाय

(i) पाँच लाख रु. तक के ऋणों हेतु कोलेट्रल सिक्योरिटी को अलग करना

कोलेट्रल सिक्योरिटी प्रदान करने की आवश्यकता, अति लघु इकाइयों के लिए बैंक क्रेडिट के प्रवाह में एक मुख्य अवरोधक है। आर.बी.आई. ने पाँच लाख रु. तक के ऋणों हेतु कोलेट्रल आवश्यकताओं से अलग करने के लिए अनुदेश जारी किए थे। संघ बजट 2002–03 में की गई घोषणा के माध्यम से वैयक्तिक बैंकों के वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर योग्य मामलों में यह सीमा 15 लाख रु. तक बढ़ा दी गई है।

(ii) संयुक्त ऋण योजना सीमा को 25 लाख रु. तक बढ़ाना

सिडबी की विद्यमान संयुक्त ऋण योजना और बैंक एकल खिड़की के माध्यम से कार्यशील पूँजी और सावधि ऋण प्रदान करके छोटे ऋण लेने वालों की सहायता करते हैं। छोटे ऋण लेने वालों के लिए ऋण प्रवाह के संवर्धन के लिए संयुक्त ऋण सीमा को 5 लाख रु. से बढ़ाकर 10 लाख रु. कर दिया गया था। व्यापक नीति पैकेज में इस सीमा को और बढ़ाकर 25 लाख रु. कर दिया गया था।

(iii) 50 लाख रु. तक की परियोजनाओं को कवर करने के लिए एन.ई.एफ. योजना

सिडबी नेशनल ईक्विटी फंड योजना का प्रचालन करता है, जिसके अन्तर्गत 10 लाख रु. तक की परियोजनाओं हेतु ईक्विटी सहयोग प्रदान किया जाता है। लघु उद्योग उद्यमियों की और अधिक सहायता करने के लिए इस सीमा को अप्रैल, 2000 में 25 लाख रु. तक बढ़ा दिया गया था। अब योजना की कवरेज को मेट्रोपोलिटेन क्षेत्रों तक बढ़ा दिया गया है। इसके अतिरिक्त निवेशों का 30% अतिलघु क्षेत्र के लिए उदिृष्ट किया जाएगा। इसके अतिरिक्त व्यापक नीति पैकेज में परियोजना लागत को 50 लाख रु. तक बढ़ा दिया गया था।

(iv) प्रत्येक जिले में विशिष्टीकृत बैंक शाखाएँ और लघु उद्योग क्लस्ट्र्स

माननीय वित्त मन्त्री ने, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से, लघु उद्योग शाखाओं से यह सुनिश्चित करने के कार्यक्रम, कि प्रत्येक जिले और जिले में लघु उद्योग क्लस्टर, एक विशिष्टीकृत बैंक की सेवा प्राप्त करे, को और अधिक तेज करने का अनुरोध किया है। लघु उद्योग शाखाओं से आई.एस.ओ. प्रमाणन प्राप्त करने को कहा जा रहा है।

(v) टी.डी.एम.एफ. योजना 3 वर्षों तक बढ़ाने का कार्य

वर्तमान में सिडबी लघु उद्योग इकाइयों के प्रौद्योगिकी विकास और आधुनिकीकरण में सहायता करने के लिए प्रौद्योगिकी विकास आधुनिकीकरण फण्ड योजना का प्रबन्ध कर रहा है। योजना की कुछ रियायती विशेषताएँ हैं, जिसमें प्रत्यक्ष सहायता हेतु प्राइम लेंडिंग दर पर ब्याज और अप्रत्यक्ष बिल हेतु प्राइम दर से नीचे 2% पर पुनर्विलयन शामिल है। इस योजना का प्रचालन और 3 वर्षों के लिए बढ़ाया जा रहा है।

आरम्भ की गई नई योजनाएँ

(क) लघु उद्योगों हेतु क्रेडिट गारन्टी फण्ड स्कीम

योजना की मुख्य विशेषताएँ हैं :

- यह योजना 30 अगस्त, 2000 को आरम्भ की गई थी।
- मुंबई में मुख्यालय के साथ क्रेडिट गारन्टी फण्ड ट्रस्ट का सृजन किया गया।
- 2000–01 में फण्ड में 125 करोड़ रु. (भारत सरकार 100 करोड़ + सिडबी 25 करोड़) का सहयोग किया गया है।
- अब तक 21 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आर.आर.बी.) और 2 अन्य संस्थान नामशः एन.ई.डी.एफ.आई और एन.एस.आई.सी., सी.जी.टी.एस.आई. के उधारदाता संस्थान बन गए हैं।
- जनवरी, 2002 के अन्त की स्थिति के अनुसार, कुल 4120 आवेदन, गारन्टी कवर हेतु मेंबर लेंडिंग इन्स्टीट्यूशन से प्राप्त किए गए थे, जिसमें से 2662 योग्य आवेदन अनुमोदित किए गए थे, और

सी.जी.टी.एस.आई. ने 2546.18 लाख रु. के कुल क्रेडिट के लिए गारन्टी कवर प्रदान किया है।

(ख) क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी

योजना की मुख्य विशेषताएँ हैं :

- योजना का आरम्भ 20.9.2000 को किया गया था।
- क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना का उद्देश्य, विशिष्ट उप-क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी उन्नयनीकरण की परियोजना पर 12% कैपिटल सब्सिडी प्रदान करना है।
- वर्तमान में 14 उत्पाद/उप-क्षेत्र कवर कर लिए गए हैं।
- सिडबी नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करता है।
- योजना की अवधि 1 अक्तूबर, 2000 से 30 सितम्बर, 2005 अथवा 600 करोड़ रु. की कैपिटल सब्सिडी की संस्वीकृति, जो भी पहले हो, है।
- सचिव (लघु उद्योग और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग) की अध्यक्षता में गवर्निंग एवं टेक्नोलॉजी एप्रूवल बोर्ड के माध्यम से योजना का अनुवीक्षण होता है।

(ग) लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड (एल.यू.सी.सी.) योजना

किसान क्रेडिट कार्ड योजना को दिए गए प्रोत्साहन से प्रेरित होकर, सरकार ने बजट 2002-03 में एक लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना (एल.यू.सी.सी.) का आरम्भ किया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, छोटे व्यवसायियों, फुटकर व्यापारियों, कारीगरों, लघु उद्यमियों, पेशेवरों एवं अन्य स्वरोजगार व्यक्तियों, जिनमें अतिलघु क्षेत्र के भी शामिल हैं, को क्रेडिट कार्ड जारी करेगा। योजना का उद्देश्य सरलीकृत और बौरोअर फ्रेंडली क्रेडिट सुविधाएँ प्रदान करना है।

क्रेडिट प्रवाह को सुधारना

(क) नायक समिति (1991-92)

भारतीय रिज़र्ब बैंक द्वारा दिसम्बर 1991 (रिपोर्ट सितम्बर, 1992 को प्राप्त हुई) में स्थापित नायक समिति, लघु उद्योगों को समयबद्ध एवं पर्याप्त क्रेडिट के पहलुओं से सम्बन्ध रखती है। नायक समिति ने पाया कि लघु उद्योग क्षेत्र अपने वार्षिक आउटपुट का 8.1% तक कार्यशील पूँजी के रूप में प्राप्त कर रहा था, जोकि 20% की नियामक आवश्यकता से कम था। तदनुसार, नायक समिति ने यह सिफारिश की कि लघु उद्योग क्षेत्र को कार्यशील पूँजी के रूप में, अपने वार्षिक प्रक्षेपित कुल बिक्री का 20% प्राप्त करना चाहिए। इस आधार पर, साथ ही नायक समिति की अन्य सिफारिशों के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को, प्रक्षेपित वार्षिक कुलबिक्री के 20% तक कार्यशील पूँजी का प्रदान करने, ऋण आवेदनों के समय पर निपटान तथा लघु उद्योग के उच्च केन्द्रीकरण के क्षेत्रों में लघु उद्योग ऋण हेतु विशिष्टीकृत बैंक शाखाओं की स्थापना और लघु उद्योग क्षेत्र की कार्यप्रणाली के प्रति बैंक प्रबन्धकों के संवेदीकरण की सलाह देते हुए कई दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये मानक 5 करोड़ रु. तक की वार्षिक कुल बिक्री वाली इकाइयों पर लागू हैं।

(ख) कपूर समिति (1997-98)

भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसम्बर, 1997 में एक व्यक्ति की समिति, श्री एस.एल. कपूर, तत्कालीन सदस्य बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एण्ड फाइनेंशियल रिकंट्रक्षन (बी.आई.एफ.आर.) की अध्यक्षता में नियुक्त की थी, जिसने अन्य बातों के साथ-साथ समीक्षा की :

(i) व्यवस्था को और अधिक प्रभावी, सरल और प्रबन्धकीय रूप से दक्ष बनाने की दृष्टि से लघु उद्योगों की क्रेडिट डिलीवरी व्यवस्था की कार्यप्रणाली; और

(ii) व्यवस्थाओं एवं प्रक्रियाओं में सरलीकरण और सुधार हेतु सुझाव देना। समिति ने भारतीय रिजर्व बैंक को 30 जून, 1998 को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें 126 सिफारिशें शामिल हैं। 126 सिफारिशों में से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 103 की जाँच की गई है, और उन पर निर्णय लिया गया है। बैंकों/वित्तीय संस्थानों और अन्य अभिकरणों ने पहले से ही 86 सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया है। समिति की सिफारिशों को मानने के लिए किए गए कुछ महत्त्वपूर्ण उपायों में शामिल हैं :

- सिडबी को आई.डी.बी.आई. से अलग करना।
- और अधिक विशिष्टीकृत शाखाएँ खोलना।
- संयुक्त ऋण की सीमाओं को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रु. करना।

- डी.आर.टीज़ की स्थापना करना।
- क्रेडिट गारन्टी योजना का आरम्भ।
- कोलेट्रल सिक्योरिटी हेतु छूट सीमा को 25,000 रु. से 5 लाख रु. तक बढ़ाना।

सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लघु उद्योग के संवर्धन और विकास हेतु किए गए अन्य उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :

- भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी कि वे सभी लघु उद्योग इकाइयों के प्रक्षेपित वार्षिक टर्नओवर के न्यूनतम 20 प्रतिशत के आधार पर संगणित की गई स्वीकृत कार्यशील पूँजी सीमाओं की पद्धति का पालन करें, जिसमें 5 करोड़ रु. तक की कार्यशील पूँजी सीमा आधारित औसत निधि अपेक्षित है।
- आर.बी.आई. ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि लघु उद्योग क्षेत्र को उधार दिए गए उनके कुल फण्डों में से कम से कम 40% उन इकाइयों को, जिनका प्लांट और मशीनरी में 5 लाख रु. तक का निवेश हो, उपलब्ध कराएँ और 20% उन इकाइयों को उपलब्ध कराएँ जिनका प्लांट और मशीनरी में 5 लाख और 25 लाख रु. के बीच तक का निवेश हो।
- नेशनल ईक्विटी फण्ड योजना के अन्तर्गत, परियोजना लागत की सीमा को 10 लाख रु. से बढ़ाकर 25 लाख रु. करना (संघ बजट 2000-2001) और तत्पश्चात् 50 लाख रु. तक करना। इसी प्रकार एन.ई.एफ. पर सॉफ्ट लोन कॉम्पोनेन्ट को भी 10 लाख रु. तक बढ़ा दिया गया है।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को, विशेष रूप से लघु उद्योग से खरीद के सम्बन्ध में भुगतान बाध्यताओं का सामना करने के लिए बड़े ऋणियों की कुल सीमाओं के भीतर निश्चित करने का परामर्श दिया है।
- लघु उद्योगों के उन्नयनीकरण हेतु क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी का आरम्भ।
- मिश्रित ऋणों की सीमा को 25 लाख रु. तक बढ़ाना और कोलेट्रल सिक्योरिटी के लिए छूट सीमा को 5 लाख रु. तक बढ़ाना।

(ग) प्रौद्योगिकी विकास एवं आधुनिकीकरण निधि (सिडबी)

लघु उद्योग इकाइयों के प्रौद्योगिकी विकास एवं आधुनिकीकरण से सम्बद्ध प्राथमिकताओं पर विचार करते हुए सिडबी ने अप्रैल 1995 में 200 करोड़ रु. की राशि सहित एक प्रौद्योगिकी विकास एवं आधुनिकीकरण निधि (टी.डी.एम.एफ.) की स्थापना की थी। इस निधि का उद्देश्य, लघु उद्योग क्षेत्र में विद्यमान औद्योगिक इकाइयों को अपनी उत्पादन सुविधाओं को आधुनिक बनाने और उनकी निर्यात क्षमताओं को सुदृढ़ बनाने के लिए सुधरी हुई एवं अद्यतन प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। लघु उद्योग इकाइयों, जिसमें अनुषंगी इकाइयाँ, जो आधुनिकीकरण/प्रौद्योगिकी उन्नयनीकरण में भाग ले रही हैं, और कम से कम 3 वर्षों की अवधि से प्रचालन में है तथा जो संस्थानों अथवा बैंकों की साझीदार नहीं हैं, शामिल हैं, को सावधि ऋण अथवा ईक्विटी में भागीदार अथवा दोनों, रूपों में प्रत्यक्ष सहायता प्रदान की जाती है। इसकी संभावनाओं को विस्तृत करने की दृष्टि से टी.डी.एम.एफ. योजना को समय-समय पर उदार बनाया जा रहा है। यह योजना जो मार्च 31, 2000 में समाप्त हो रही थी, को और तीन वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। टी.डी.एम.एफ. योजना के अन्तर्गत प्रत्यक्ष सहायता सिडबी के प्राइम लेंडिंग दर पर, परियोजना लागत के 20% के प्रमोटर के बड़े अंशदान सहित अपफ्रण्ट शुल्क के बिना प्रदान की जाती है।

(घ) नेशनल इक्विटी निधि (सिडबी)

यह योजना, जो अगस्त 1987 में आरम्भ हुई थी, लघु उद्यमियों को अतिलघु क्षेत्र में परियोजनाओं की स्थापना के लिए ईक्विटी सहयोग प्रदान करती है। अति लघु एवं लघु क्षेत्रों में विनिर्माण, सामान के संरक्षण अथवा संसाधनों हेतु बिना स्थान के नई परियोजनाएँ इस सहायता हेतु पात्र हैं। 1995-96 में विस्तार, आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयनीकरण और विविधीकरण को कवर करने के लिए योजना की संभावनाओं को और बढ़ा दिया गया है। योजना के अन्तर्गत सॉफ्टलोन सहायता की उच्चतम सीमा, प्रति परियोजना 6.25 लाख रु. अधिकतम की तुलना में परियोजना लागत का 25% है, जबकि परियोजना की लागत 25 लाख रु. से अधिक न हो। योजना का प्रचालन राज्य वित्तीय निगमों/राज्य औद्योगिक विकास निगमों के माध्यम से किया जा रहा है।

निर्यात संवर्धन

निर्यात संवर्धन के पीछे मूलाधार

अन्तरराष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने के भारतीय लघु उद्योग उत्पादों की क्षमता, राष्ट्रीय निर्यातों में इसके लगभग 35% भाग के रूप में प्रतिबिम्बित होती है। तैयार वस्त्रों, चर्म उत्पादों, संसाधित खाद्यों, अभियांत्रिकीय उत्पादों जैसी मदों के मामले में कार्यनिष्पादन मूल्य और लघु उद्योग क्षेत्र में इनके भाग, दोनों के रूप में प्रशंसनीय है, जबकि कुछ मामलों, जैसे कि खेल का सामान में इनका 100% का कुल निर्यात माना जा सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए, भारत की निर्यात संवर्धन की नीति में लघु क्षेत्र के निर्यात संवर्धन को उच्च प्राथमिकता दी जाती है, जिसमें प्रक्रियाओं का सरलीकरण, निर्यात हेतु उच्च उत्पादन हेतु प्रोत्साहन, मार्किट डेवलेपमेण्ट फण्ड में लघु उद्योगों को प्राथमिक व्यवहार, ड्यूटी ड्रॉबैक नियमों का सरलीकरण इत्यादि शामिल है। लघु उद्योग निर्यातकों के उत्पादों को अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी मेलों में बगैर लागत के प्रदर्शित किया जाता है।

लघु उद्योग उत्पादों का अन्तरराष्ट्रीय प्रदर्शन

लघु उद्योग इकाइयों को, विपणन संभावनाएँ खोजने, निर्यात संवर्धन और प्रदर्शनी हेतु प्रचार के क्षेत्र में सहायता प्रदान करने की दृष्टि से निम्न योजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं:

1. अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी

सीडो द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र की उनके द्वारा भागीदारी के लिए उनके उत्पादों को बगैर व्यय प्राप्त किए, प्रदर्शित करने में, सहायता प्रदान करने के लिए चुनिंदा अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी का आयोजन किया जाता है। भागीदारी से सम्बन्धित सभी खर्चे जैसे कि स्थल का किराया, एक्ज़ीबिट्स का प्रदर्शन, एक्जीबिट्स का नौभरण, हैंडलिंग और क्लियरिंग, बीमा आदि, विदेशों में अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में उनके उत्पादों के प्रदर्शन हेतु चुनिंदा लघु उद्योग इकाइयों के लिए सीडो द्वारा पूरे किए जाते हैं। विदेश में इस प्रकार की प्रदर्शनियों के दौरान उत्पन्न हुई ग्राहकों की पूछ–ताछ लघु उद्योग इकाइयों को तत्काल प्रसारित की जाती है, जिससे कि नए विदेशी क्रेताओं/बाज़ारों आदि की संभावनाओं की खोज की जा सके। इस योजना के अन्तर्गत सीडो वार्षिक रूप से छ: से सात चुनिंदा अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेता है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रचालित विपणन विकास योजना के अन्तर्गत लघु उद्योग इकाइयों को, मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी हेतु विदेश में विदेशी मीडिया के उपयेाग, और प्रचार हेतु प्रकाशन निकालने में सहायता प्रदान की जाती है। लघु उद्योग इकाइयाँ, निर्धारित उच्चतम सीमा के मुकाबले हवाईभाड़ा/स्थल का किराया, जिसमें साज–सज्जा, विद्युत, जल शामिल है, की लागत का 90% प्राप्त करने की पात्र हैं।

2. निर्यात हेतु पैकेजिंग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

वर्तमान समय के विपणन विशेषकर निर्यात विपणन में, पैकेज एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पैकेजिंग के क्षेत्र में पेशेवर मार्गदर्शन, लघु उद्योग उत्पादों की सम्पूर्ण विपणन योग्यता को, घरेलू एवं विदेशी बाजारों में सुधारने में लघु उद्योग निर्यातकों को नवीन पैकेजिंग तकनीकों/मानकों से परिचित कराने के लिए देश के विभिन्न भागों में, निर्यात हेतु पैकेजिंग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये कार्यक्रम इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग के सहयोग से आयोजित किए जाते हैं, जो इस सम्बन्ध में आवश्यक विशेषज्ञता प्रदान करते हैं। इस योजना का बुनियादी उद्देश्य, उत्पाद की सम्पूर्ण बाह्याकृति, टिकाऊपन और मूल्य को सुधारने के लिए लघु उद्योग विनिर्माताओं को पैकेजिंग प्रौद्योगिकी, पैकेज की सुन्दरता के विभिन्न पहलुओं पर प्रभावशीलता स्टाइल आदि का प्रशिक्षण प्रदान करना है।

प्रत्येक वर्ष, लघु उद्योग सेवा संस्थानों द्वारा, विभिन्न उद्योग समूहों के लिए इस प्रकार के लगभग 20 कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

उभर रहे विश्व व्यापार संगठन नियम में नीतियाँ

'उदारीकरण पश्चात्' परिदृश्य में लघु उद्योग क्षेत्र के भविष्य पर एक बातचीत इस क्षेत्र से संबधित उठाई गई आशंकाओं के प्रकाश में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए।

पिछले 10 वर्षों से लघु उद्योग क्षेत्र के वृद्धि के ढंग का एक उत्साहित करने वाला पहलू यह है कि इसने सामान्यत:

‘समग्र उद्योग’ अथवा ‘विनिर्माण क्षेत्र’ की तुलना में उच्च वृद्धि दर दर्ज की है।

यह हमें एक सकारात्मक निष्कर्ष की ओर ले जाता है। उदारीकरण की प्रक्रिया ने ऐतिहासिक प्रवृति को नहीं बदला है : लघु उद्योग ने कुल उद्योग क्षेत्र की तुलना में वृद्धि की उच्च दर लगातार बनाए रखी है।

पूर्व-उदारीकरण अवधि की तुलना में वृद्धि की सीमा में डाउनसाइजिंग मुख्यत: उद्योग एवं अर्थव्यवस्था में सामान्य मन्दी के कारण भी है।

अत: यह कहना शायद सही होगा कि लघु क्षेत्र आर्थिक सुरक्षा प्रक्रिया अभिग्राही छोर पर नहीं रहा है।

यदि हम भविष्य की ओर देखें तो कुछ बातों को ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है। सबसे महत्त्वपूर्ण लघु उद्योग क्षेत्र में विभिन्नता और अनेकता है।

नवम्बर, 1999 में सीएटल राउण्ड के पश्चात् इस शब्दावली ने अधिक महत्त्व प्राप्त किया है। डब्लू.टी.ओ. और इसके क्रियाकलापों को पूरी तरह समझने की आवश्यकता पर मंत्रालय ने जोर दिया है। विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के कार्यालय में एक डब्लू.टी.ओ. सैल खोला गया है। लघु उद्योग क्षेत्र की संवेदनशीलता के लिए कार्यक्रम तैयार किया गया। इस कार्यक्रम में पूरे देश में 27 शहरों में संवेदनशीलता कार्यक्रम की परिकल्पना की गई। क्षेत्रीय सम्मेलनों की योजना भी की गई है।

राज्य उद्योग संघों एवं सी.आई.आई., फिक्की, पी.एच.डी., चैम्बर्स ऑफ कामर्स, एफ.ए.एस. आई.आई. जैसे संघों से भी अनुरोध किया गया कि वे संवेदनशीलता कार्यक्रम में भाग लें। इन कार्यक्रमों में उद्यमियों ने बहुत रूचि दिखाई।

पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास

पूर्वोत्तर राज्यों, जिसमें सिक्किम शामिल है, लघु उद्योगों की वृद्धि, देश के अन्य भागों में, लघु उद्योगों की वृद्धि से समगति से नहीं चल पा रही है। इस क्षेत्र में लघु उद्योग इकाइयों की स्थापना को गति प्रदान करने के लिए, सरकार द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं, जिनकी गणना नीचे दी गई है :

(i) सभी पूर्वोत्तर राज्यों में लघु उद्योग सेवा संस्थान (एस आई एस आई) खोले गए हैं।

(ii) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमन्त्री की रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.) को उदार बना दिया गया है। प्रत्येक लाभार्थी एवं उसके दम्पत्ति के लिए पारिवारिक आय सीमा को प्रतिवर्ष 24,000 रु. से बढ़ाकर 40,000 रु. कर दिया गया है, और पात्रता हेतु आयु सीमा 35 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष कर दी गई है। कार्यकलापों जैसे बागवानी, सूअर पालन, मधुमक्खी पालन, मछलीपालन और छोटे चाय बागानों को भी आर्थिक रूप से जीवनक्षम कार्यकलापों में शामिल किया गया है, जो पूर्वोत्तर हेतु विशिष्ट हैं।

(iii) एकीकृत आधारभूत संरचना विकास योजना (आई.आई.डी.) के अन्तर्गत छ: आई.आई.डी. केन्द्र संस्वीकृत किए गए है, चार असम में एक मिजोरम में और एक मणिपुर में।

(iv) 1993 में गुवाहाटी में स्थापित भारतीय उद्यमिता संस्थान (आई.आई.) लघु उद्योग और उद्यमिता के क्षेत्र में प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श सेवाओं का कार्य कर रहा है।

(v) पर्वतीय दूरस्थ एवं सुगम्य क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण के संवर्धन की दृष्टि से 1971 में परिवहन सब्सिडी योजना का आरम्भ किया गया था। पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु योजना को 31.3.2007 तक बढ़ा दिया गया है।

(vi) टूल मेकिंग में प्रशिक्षण हेतु गुणवत्ता टूल्स और डाईज़ के विनिर्माण हेतु, सुविधाएँ सृजित करने के लिए गुवाहाटी में एक टूल रूम और प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया जा रहा है।

नीम व सुगन्धित पौधों पर आधारित उत्पादों के लिए प्रौद्योगिकी सहायता कार्यक्रम

लघु उद्योग विकास संगठन्(सीडो) के प्रौद्योगिकी उन्नयन कार्यक्रम के अन्तर्गत सुगन्धित व औषधीय पौधों पर आधारित 5 क्लस्टर (समूहों) को 'मिशन फॉर मिलेनियम-2000' के अन्तर्गत स्थापित किया गया है। इन योजनाओं को सुगन्ध एवं सुरस विकास केन्द्र, कन्नौज के द्वारा चलाया जा रहा है। इन कार्यक्रमों का संचालन एवं समन्वय विकास आयुक्त (ल० उ०) नई दिल्ली के कार्यालय द्वारा राजस्थान, उ०प्र०, उड़ीसा, उत्तरांचल सरकार की सहायता से किया जा रहा है।

निम्नलिखित पाँच योजनाएँ वर्तमान में चल रही हैं :—

1. नीम उत्पाद तकनीकी सहायता सेवा केन्द्र, झालावाड़, राजस्थान।
2. खस-खस उत्पाद तकनीकी सहायता सेवा केन्द्र, धौलपुर, राजस्थान।
3. केवड़ा उत्पाद तकनीकी सहायता सेवा केन्द्र, बेरहमपुर (गन्जाम), उड़ीसा।
4. मिन्ट उत्पादन तकनीकी सहायता सेवा केन्द्र, बदायूं, उ०प्र०।
5. जिरेनियम उत्पादन तकनीकी सहायता सेवा केन्द्र, नैनीताल, उत्तरांचल।

उपरोक्त योजनाएं निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु चलाई जा रही हैं :

- उद्यमियों में सुगन्धित व औषधीय पौधों के व्यावसायिक उपयोगिता आदि के लिए जागरूकता प्रदान करना,
- सुगन्धित व औषधीय पौधों के उत्पादन व प्रसंस्करण की जानकारी देना,
- नीम, केवड़ा, खस-खस, जिरेनियम व मिन्ट पर आधारित उद्योगों को तकनीकी सहायता प्रदान करना,
- वर्तमान में लगे उद्योगों में उत्पादों की गुणवता में सुधार करने तथा प्रोसेसिंग में दक्षता हेतु प्रौद्योगिकी उन्नयन का प्रदर्शन।
- सम्बन्धित क्लस्टर में स्थापित इकाइयों में उपलब्ध परीक्षण सुविधाओं सहित सामान्य सुविधा सेवा प्रदान करना।
- शाकीय सुगन्धित पौधों के प्रसंस्करण के लिए भावी उद्यमियों को प्रशिक्षण प्रदान करना।
- उद्यमियों व ग्राहकों के बीच विपणन हेतु समन्वय स्थापित करना इत्यादि। उपरोक्त परियोजनाओं की वर्तमान में उपलब्ध सेवाओं एवं सुविधाओं की जानकारी संक्षिप्त रूप में निम्नानुसार है :—

1. नीम पर आधारित उत्पादों के लिए प्रौद्योगिक सहायता सेवा केन्द्र, झालावाड़, राजस्थान

नीम की बहुउपयोगिता के कारण आजकल नीम तथा नीम पर आधारित उत्पादों के संबंध में बल दिया जा रहा है। भारत, क्योंकि नीम का उद्गम स्थल है और सारे संसार से यहाँ सबसे ज्यादा नीम के पेड़ हैं। अत: राजस्थान के झालावाड़ जनपद में नीम तथा नीम पर आधारित उत्पादों के विकास एवम् संवर्धन के लिए प्रौद्योगिकी सहायता सेवा प्रदान करने के लिए यह योजना चलाई जा रही है। इस केन्द्र के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य हैं :—

- नीम पर आधारित उत्पादों के लिए जागरूकता तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
- नर्सरी की स्थापना के माध्यम से नीम की सुधरी हुई किस्मों को लगाने के लिए उत्प्रेरण कार्यक्रम आयोजित करना।
- ग्रामीण रोजगार के अवसरों के सृजन हेतु वैज्ञानिक ढंग से नीम तथा निम्बौली के प्रसंस्करण के चयन हेतु विपणन संवर्धन कार्यक्रम आयोजित करना।
- नीम के बीजों से नीम के विभिन्न उत्पादों हेतु प्रंसस्करण की व्यवस्था उपलब्ध कराना व प्रशिक्षण देना ताकि प्रशिक्षण व प्रदर्शन के साथ-साथ जॉब वर्क सुविधा का भी विस्तार किया जा सके एवं इस सुविधा का लाभ स्थानीय एवं अन्य लोगों को मिल सके।
- नीम उत्पादन करने वाले तथा उपभोगताओं के साथ वाणिज्यिक विकास करना। नीम पर आधारित उत्पादों के लिए औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु परामर्श देना जैसे नीम पेस्टीसाइडस, नीम आइल तथा आइसोलेट्स, नीम फर्टिलाइजर, कास्मैटिक्स तथा नीम

पर आधारित अन्य हेल्थ केयर उत्पाद इत्यादि।

इस केन्द्र की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

- यह परियोजना कृषि विज्ञान केन्द्र, झालावाड़ में 2.2.2001 से कार्यान्वित है।
- इस केन्द्र ने नीम पर आधारित उद्योगों के लिए प्रौद्योगिक सहायता व जानकारी देना शुरू कर दिया है।
- नीम व नीम पर आधारित उत्पादों के परीक्षण हेतु एक सम्पूर्ण सुविधाओं वाली प्रयोगशाला स्थापित की गई है।
- नीम प्रसंस्करण हेतु एक इकाई जिसमें डिकॉरटीकेटर, नीम सीड क्लीनर, पलवराइजर ड्रायर व कोल्ड प्रैस एकस्पैलर शामिल है, स्थापित कर दी गयी है।
- नीम व अन्य सुगन्धित पौधों को सुरक्षित वातावरण में उगाने हेतु ग्रीन हाउस जिसमें नैट हाउस व पॉली हाउस शामिल हैं, तैयार कर दिया गया है।
- पिछले साल 14 मैट्रिक टन नीम के बीज विभिन्न संग्रहण केन्द्रों द्वारा एकत्रित किये गये हैं।
- नीम बीजों का प्रसंस्करण भी नीम-तेल, नीम केक, व अन्य उत्पादन हेतु शुरू कर दिया है। पिछले सालों में कई जागरूकता कार्यक्रम किये गये हैं।
- इस वर्ष 6,000 नीम के सेम्पलींग, नीम पौधों को उगाने के लिए खरीदे गये है व उन्हें केम्पस में लगाया गया है।
- इसके अतिरिक्त नीम पेस्टीसाइड का फसलों पर प्रभाव का परीक्षण भी किया जा रहा है, जिसके परिणाम उत्साहर्वधक है।

2. खस-खस (वेटी वर) उद्योगों के लिए प्रौद्योगिकी सहायता सेवा केन्द्र, धौलपुर (राजस्थान)

- यह केन्द्र रीको औद्योगिक क्षेत्र, धौलपुर में स्थापित किया गया है।
- यह केन्द्र 26.9.02 से शुरू हो गया है।
- उन्नत किस्म व स्थानीय प्रजाति खस-खस घास की नर्सरी कृषि विज्ञान केन्द्र से ली गयी 1.5 एकड़ भूमि में लगा दी गयी है।
- राज्य सरकार से 21.12 बीघा भूमि खस-खस व अन्य सुगन्धित पौधों को लगाने के लिए ली गयी है, खस-खस पौधों को उगानें व प्रसंस्करण हेतु जानकारी देने के लिए कई जागरूकता कार्यक्रम धौलपुर व इसके आस-पास के इलाकों में किये गये हैं।
- लगभग 40 किसानों को खस-खस घास उगाने हेतु जानकारी व तकनीकी सहायता प्रदान की गयी है।

3. केवड़ा पर आधारित प्रौद्योगिकी सहायता सेवा केन्द्र, बेरहमपुर, जनपद गन्जाम, उड़ीसा

- केवड़ा व अन्य सुगन्धित तेलों पर आधारित उद्योगों को तकनीकी सहायता व गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण सुविधा प्रदान करने हेतु एक पूर्ण सुविधायुक्त प्रयोगशाला बेहरमपुर में स्थापित की गयी है।
- इस केन्द्र ने 26.9.02 से सेवा प्रदान करना शुरू कर दिया है।
- केवड़ा पर आधारित उद्योगों के विकास व तकनीकी जानकारी हेतु कई जागरूकता व प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये गये हैं।
- स्थानीय उद्यमियों द्वारा यहाँ पर उपलब्ध सेवा का लाभ उठाना शुरू कर दिया है।
- हाल ही में एक फील्ड डिस्टिलेशन इकाई भी प्रदर्शन (डिमान्स्ट्रेशन) हेतु स्थापित कर दी गयी है।

4. मिन्ट और आधारित उद्योगों लिए प्रौद्योगिकी सहायता सेवा केन्द्र, बदायूँ

- मेन्था ऑयल व सम्बन्धित उत्पादों के परीक्षण हेतु एक पूर्ण सुविधायुक्त जिसमें जी.ऐल.सी. भी शामिल है, एक प्रयोगशाला बदायूँ में खोल दी गयी है, जो 15.4.02 से कार्यरत है। मेन्था उत्पाद पर गुणवत्ता व प्रशिक्षण हेतु कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं।
- इस उद्योग में लगे उद्यमियों ने यहाँ पर उपलब्ध गुणवत्ता परीक्षण सुविधा का लाभ उठाना प्रारम्भ कर दिया है।

5. **जिरेनियम पर आधारित प्रौद्योगिकी सहायता सेवा केन्द्र, भवाली (उत्तरांचल)**

- यह केन्द्र ज्योली कोट में स्थापित किया गया है।
- जिरेनियम के उगाने के तरीके व प्रसंस्करण की जानकारी देने के लिए कई जागरूकता व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर दिये गये हैं। इस योजना के तहत जिरेनियम के अलावा कृषि पर आधारित जैसे अदरक, हल्दी, लहसुन के मूल्य वृद्धि उत्पाद पर भी कार्यवाही जारी है।
- जिरेनियम ऑयल की उपयोगिता के प्रचार–प्रसार हेतु कुछ कार्य देहरादून इलाके में भी शुरू कर दिये गए हैं।
- जिरेनियम पौध उगाने हेतु एक एकड़ भूमि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई है, जिसमें जिरेनियम की पौध लगाई गई है।

लघु उद्योग इकाइयों की सांख्यिकी का संकलन

लघु औद्योगिक इकाइयों की सांख्यिकी के संकलन की प्लान स्कीम एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है जिसका प्रचालन विकास आयुक्त (ल.उ.) का कार्यालय के तहत सांख्यिकी तथा डाटाबैंक प्रभाग द्वारा किया जाता है। प्रभाग लघु उद्योग के विभिन्न पहलुओं मुख्यत: योजना तथा नीति बनाने के प्रयोजन हेतु सूचना एकत्रित करता है, संकलन करता है तथा सांख्यिकी सूचना प्रदान करता है। राज्य उद्योग निदेशालय/ संघ राज्य-क्षेत्र के सहयोग से डाटा का संकलन करता है।

2000-01 के दौरान इस प्रभाग द्वारा किए गए कार्य की महत्वपूर्ण मदें इस प्रकार हैं :

- 1970 को आधार मानकर ल.उ. सेक्टर हेतु औद्योगिक उत्पादन के इण्डेक्स की गणना।
- 1987-88 को आधार लेकर ल.उ. सेक्टर के लिए औद्योगिक उत्पादन के इण्डैक्स की समीक्षा।
- 1993-94 को आधार मानते हुए केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाने वाली औद्योगिक उत्पादन के सामान्य इण्डैक्स की गणना हेतु सम्मिलित करने के लिए लघु उद्योग सेक्टर के सम्बन्ध में 18 मदों के उत्पादन के मासिक आकलन को तैयार करना।
- लघु औद्योगिक इकाइयों के सम्बन्ध में डाटा का पंजीकरण।
- 1994-95 के दौरान पंजीकृत लघु औद्योगिक इकाइयों के सैम्पल सर्वे का प्रकाशन।
- 1995-96 के दौरान पंजीकृत लघु औद्योगिक इकाइयों की रुग्णता सम्बन्धी सेकैण्ड डायग्नोस्टिक सर्वे की रिपोर्ट का प्रकाशन।
- पंजीकृत लघु औद्योगिक इकाइयों की तीसरी अखिल भारतीय गणना सम्बन्धी तैयार क्रियाकलाप।
- लघु उद्योग सेक्टर के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन।
- वर्ष 1999-2000 अवधि के सन्दर्भ में 2000-2001 के दौरान पंजीकृत लघु औद्योगिक इकाइयों के सम्बन्ध में आयोजित सैम्पल सर्वे की रिपोर्ट प्रिंटिड रूप में उपलब्ध है।

सैम्पल सर्वे की मुख्य बातें हैं :

- पंजीकृत ल. उ. यूनिटों में से 71% कार्यरत पाई गईं जबकि 29% बन्द पाई गईं। दूसरी गणना (1987-88) तथा सैम्पल सर्वे (1994-95) के दौरान पाए गए क्रमश: 62% तथा 65% की तुलना में कार्यरत इकाइयों का प्रतिशत बढ़ा है।
- लघु उद्योग विनिर्माण औद्योगिक इकाइयों (एस एस आई) का समानुपात सीमान्त तौर पर 87% से घटकर मार्च, 2000 तक दूसरी गणना के दौरान 86% हो गया है। तथापि, लघु सेवा तथा बिजनेस उद्योग से सम्बन्धित उद्यम (एस. एस. एस. बी. ई.) 11% से बढ़कर 14% हो गई है।
- दूसरी गणना के दौरान 78% की तुलना में 95% इकाइयां प्रोपराइटरशिप इकाइयां पाई गईं। लगभग 85% इकाइयां लेखा पुस्तकों का अनुरक्षण नहीं कर रही थीं।
- 1987-88 वर्ष की दूसरी गणना द्वारा पाए गए 42.17% के मुकाबले में सर्वे में पाया गया कि 47% कार्यरत पंजीकृत ल. उ. इकाइयाँ ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित हैं।
- महिला उद्यमियों की संख्या में थोड़ा सा इजाफा हुआ है अर्थात 1987-88 में यह 5.15% था जोकि वर्ष 1999-2000 में बढ़कर 5.59% हो गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों की संख्या में महत्त्वपूर्ण इजाफा हुआ है जोकि 1987-88 में 5.98% से बढ़कर वर्ष 1999-2000 में 8.4% हो गया है।
- पहली बार अ. पि. वर्ग के उद्यमियों के समानुपात का आकलन किया गया और यह पाया गया कि 17.51% पंजीकृत ल. उ. इकाइयां अ. पि. वर्ग के स्वामित्व/प्रबन्धन वाली हैं।
- लगभग 73% यूनिटें विनिर्माण एसेम्बली प्रोसेसिंग में संलग्न हैं तथा यह पंजीकृत ल. उ. सेक्टर के निवल मूल्य वर्धित का 93% बैठता है।
- बन्द इकाइयों की औसत वर्किंग लाइफ का आकलन

लगभग 4-5 वर्ष का किया गया है। इकाई के बन्द होने के मुख्य कारणों में महत्व की शर्तोनुसार रैंकबद्ध हैं 'विपणन समस्या' 'वित्त समस्या' और 'प्रतिस्पर्धा' की वजह से जीवित न रह सकी जबकि दूसरी गणना में बन्द होने के मुख्य कारण थे 'वित्त समस्या' तथा 'विपणन समस्या'।

- वर्ष 1987-88 के लिए गणना में औसत उत्पादन 7.38 लाख रु. प्रति इकाई पाया गया, इसके मुकाबले में यह वर्ष 1999-2000 में 13.31 लाख रु. प्रति इकाई हो गया था।
- ल. उ. इकाइयों की पूँजीगत सघनता में इजाफे के लक्षण हैं। प्रति इकाई रोजगार के अवसर जोकि 1987-88 (सैकेंड सेन्सस) में 6.3 व्यक्ति था से गिर कर 1999-2000 में यह 3.6 व्यक्ति रह गया है। दूसरी गणना (1987-88) के दौरान दिहाड़ी दर प्रति वर्ष प्रति कर्मचारी रु. 8000/- थी, की तुलना में यह वर्ष 1999-2000 में रु. 45000/- आँकी गई।
- पंजीकृत ल. उ. सेक्टर के निवल मूल्य वर्धित का आकलन मार्च, 2000 तक 60.956 करोड़ रु. किया गया। यह देश में कुल विनिर्माण सेक्टर के जी. डी. पी. का लगभग 22.2% बनता है।
- निर्यात करने वाली इकाइयों की संख्या जोकि 1987-88 में 0.78% थी, वह वर्ष 1999-2000 में बढ़कर 2.71% हो गई है।
- प्रति पंजीकृत इकाई का नियत निवेश जोकि 1987-88 में 1.60 लाख रु. था, से बढ़कर वर्ष 1999-2000 में 2.76 लाख रु. पर पहुँच गया है। इसी प्रकार से इसी अवधि के दौरान प्रति इकाई संयंत्र और मशीनरी में निवेश 0.93 लाख रु. से बढ़कर 1.62 लाख रु. हो गया है।
- सर्वेक्षण के दौरान यह पाया गया कि लगभग 99.27% इकाइयां पूर्णतया देशज प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही हैं। शेष 0.73% इकाइयों के पास आयातित प्लांट और मशीनरी के कम्पोनेन्ट्स हैं और ये कुल उत्पादन के 2.54% का योगदान करती हैं। इसी प्रकार से लगभग 99.62% इकाइयां देशज कच्ची सामग्री का उपयोग करती हैं। शेष 0.38% इकाइयां आयातित कच्चे माल के कम्पोनेन्ट्स का प्रयोग करती हैं और कुल उत्पादन में इनका योगदान 3.6% बैठता है।
- इस आयाम के विस्तृत सर्वेक्षण में पहली दफा रुग्णता/प्रारंभिक रुग्णता का पता लगाने के लिए कतिपय मानदण्डों का परीक्षण किया गया। ये मानदण्ड थे— (i) ऋण की पुनर्अदायगी में एक वर्ष से भी अधिक का विलम्ब (ii) तीन वर्ष तक ग्रोस सेल्ज में निरन्तर गिरावट (iii) नकारात्मक कार्यशील पूँजी तथा (iv) नकारात्मक मूल्यवर्धन। यह अन्वेषित किया गया कि क्या कोई इकाई जोकि इन मानदण्डों में से किसी भी मानदण्ड को पूरा करती हैं, वह सामान्यत: एक रुग्ण इकाई के समक्ष आनेवाली समस्याओं से ग्रस्त थी। लगभग 11.06% इकाइयां उपर्युक्त मानदण्ड में से किसी एक या अन्य मानदण्ड की सन्तुष्टि करती थीं तथा उद्यमियों के 4.18% ने यूनिटों को चलाने में कोई असन्तुष्टि नहीं व्यक्त की। अत: लगभग 6.88% को रुग्ण/प्रारम्भी रुग्णता ग्रस्त माना जा सकता है। संबद्ध महत्व की दृष्टि से रुग्णता/प्रारम्भी रुग्णता का मुख्य कारण मार्किटिंग समस्या माँग की कमी तथा कार्यशील पूँजी की कमी ही था।
- लगभग 1.97% इकाइयां कैजूअल बेसिस पर कार्यरत पाई गईं। इकाइयां 1.63% नकारात्मक कार्यशील पूँजी से चल रही हैं और ऐसी इकाइयां औद्योगिक रुग्णता की शिकार हैं।
- 6 राज्य जैसे पश्चिमी बंगाल, दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान तथा महाराष्ट्र का कुल उत्पादन 50.13% आँका गया तथा कुल एन.वी.ए. का 56.20% बनता है। कार्यरत यूनिटों, नियत पूँजी तथा रोजगार में उनकी भागीदारी क्रमश: 27.05%, 46.09% तथा 38.69% था।
- खाद्य उत्पाद उद्योग ने 22.66% के उत्पादन सहित कार्य-निष्पादन की शर्तानुसार उच्च स्थान प्राप्त किया है जिसमें केवल 9.38% इकाइयों का शेयर है। चार उद्योग जैसे खाद्य उत्पाद, रसायन और रसायन उत्पाद, बेसिक मेटल उद्योग तथा हौजरी और गारमेंट्स ने कुल उत्पादन के 49.81% का योगदान दिया जिसमें केवल 18.67% इकाइयों का शेयर रहा है। इन उद्योगों ने 33.45% को रोजगार प्रदान किया तथा कुल एन. वी. ए. का 51.14% का योगदान प्रदान किया है। कुल नियत पूँजी का लगभग 36% इन उद्योगों में निवेशित है।

नमूना सर्वेक्षण 1999-2000 की

दूसरी गणना (1987-88) और नमूना सर्वेक्षण (1994-95) से तुलना।

	विशेषताएँ	दूसरी गणना (1987-88)	नमूना सर्वेक्षण (1994-95)	नमूना सर्वेक्षण (1999-2000)
1.	कार्यरत इकाइयों का प्रतिशत	61.67%	65.26%	71%
2.	ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत यूनिटों का प्रतिशत	42.20%	42.20%	47%
3.	निर्यात कर रही कार्यरत यूनिटों का प्रतिशत	0.78%	1.18%	2.71%
4.	कार्यरत यूनिटों का प्रतिशत			
	ल. उ.	87.28%	96.24%	85.71%
	एनसियलरी	1.57%	0.52%	0.64%
	एस. एस. एस. बी. ई.	11.15%	3.24%	13.65%
5.	कार्यरत यूनिटों की प्रोपराइटरशिप का प्रतिशत	78%	80.48%	95.02%
6.	स्वामित्व/प्रबन्ध की जा रही कार्यरत यूनिटों का प्रतिशत	61.38%	65.42%	73.47%
	अनु. जा.	4.57%	6.84%	5.8%
	अनु. ज. जा.	1.41%	1.70%	2.6%
	महिलाएँ	5.15%	7.69%	5.59%
7.	फैक्टरी अधिनियम के तहत पंजीकृत कार्यरत यूनिटों का प्रतिशत	6.12%	7.53%	9.53%
8.	प्रति कार्यकारी यूनिट नियत निवेश (लाख रु.)	1.60	3.08	2.76
9.	पी. एण्ड एम. में प्रति कार्यरत यूनिट निवेश (ओरिजनल)(लाख रु.)	0.93	4.00	1.62
10.	प्रति कार्यरत यूनिट कार्यकारी कैपिटा (लाख रु.)	1.23	6.98	1.188
11.	प्रति कार्यरत यूनिट उत्पादन (लाख रु.)	7.38	30.9	13.31
12.	प्रति कार्यरत यूनिट नियोजन (सं.)	6.29	8.54	3.60
13.	प्रति कार्यरत यूनिट निवल मूल्य वर्धित (लाख रु.)	1.76	20.65	4.36
14.	उत्पादन/नियत परिसम्पत्तियों में निवेश	4.62	10.00	4.82
15.	निवल मूल्य वर्धित/परिसम्पत्तियों में निवेश	1.10	6.75	1.58
16.	नियोजन/नियत परिसम्पत्तियों (लाख रु.) में निवेश	3.94	2.73	1.30
17.	निवल मूल्य वर्धित/नियोजन (लाख रु.)	0.28	2.47	1.21
18.	अदा की गई दिहाड़ी/नियोजन (लाख रु.)	0.08	0.12	0.45
19.	उत्पादन/रोजगार (लाख रु.)	0.04	3.66	3.69

* सैम्पल डाटा पर आधारित   विदाउट एप्लीकेशन आफ मल्टी प्लायर फार यूनिवर्स।

* सैम्पल डाटा पर आधारित   - वही -

वर्ष 1999-2000 के सन्दर्भ में वर्ष 2000-2001 के दौरान आयोजित पंजीकृत ल. उ. यूनिटों के सैम्पल सर्वे का मुख्य परिणाम

1.	कुल ल. उ. इकाइयों की सं.		19.63 लाख
2.	कार्यरत यूनिटों की सं.		71%
3.	बन्द (क्लोजड) यूनिटों की सं.		29%
4.	क्लोजड यूनिट की औसतन कार्यरत लाइफ		4 से 5 वर्ष
5.	बन्द होने के प्रमुख कारण		(i) विपणन समस्या (ii) वित्त समस्या (iii) प्रतिस्पर्धा के कारण जीवित न रह सकी
6.	उन कार्यरत यूनिटों की सं. जिन्होंने स्थायी पंजीकरण प्राप्त करने के वर्ष से पूर्व ही उत्पादन शुरू कर दिया।		46.19%
7.	कार्यरत यूनिटों का वितरण		
		ग्रामीण	47%
		शहरी	53%
8.	निर्यातक कर रही कार्यरत यूनिटों की सं.		2.71%
	पंजीकृत ल.उ. सेक्टर का कुल निर्यात		17.01%
9.	विनिर्माण एसेम्बली प्रोसैसिंग में संलिप्त कार्यरत यूनिटों की सं.		73.47%
	विनिर्माण/एसेम्बली/प्रोसैसिंग में संलिप्त यूनिटों का ग्रोस आउट-पुट		91.82%
10.	प्रचालनरत कार्यरत यूनिटों की सं.		
		पेरेनियल्ली	93.86%
		सीजनल्ली	4.17%
		कैजुअली	1.97%
11.	स्वामित्व सहित यूनिटों की सं.		
		प्रोपराइटरी	95.02%
		अन्य प्रभार	4.98%
12.	कार्यरत यूनिटों की सं.		
		लघु उद्योग	85.71%
		एस एस एस बी ई	13.65%
		एन्सियलरी	0.64%
13.	महिला स्वामित्व वाली/प्रबन्धन वाली कार्यरत यूनिटों की सं.		5.59%
		अनु. जा.	5.80%
		अनु. ज. जा.	2.60%
		अ. पि. वर्ग	17.51%
14.	लेखों का अनुरक्षण करनेवाली कार्यरत यूनिटों की सं.		15.49%
15.	हाई-टेक लाइन प्रयुक्त करनेवाली कार्यरत यूनिटों की सं.		0.68%
16.	फैक्टरी अधिनियम के तहत पंजीकृत कार्यरत ल. उ. यूनिटों की सं.		5.59%
		सैक्शन 2 (एम) (i) और 2 (एम) (ii)	3.34%
		सैक्शन 85 (i) और 85 (ii)	6.19%
17.	एन एस आई सी के सिंगल प्वाइंट रजिस्ट्रेशन के तहत पंजीकृत कार्यरत यूनिटों की सं.		2.07%
18.	कार्यरत अतिलघु यूनिटों की सं.		98.93%

लघु उद्योगों की तीसरी गणना

1. लघु उद्योगों की तीसरी गणना का संदर्भ वर्ष 2001-02 है। क्षेत्रकार्य पूरे देश में नवम्बर 2002 से अप्रैल 2003 के दौरान किया गया था। बिना किसी सांविधिक सहयोग के लगभग 25 लाख इकाइयों के आंकड़े एकत्र किए जाने थे। इस में अपंजीकृत लघु उद्योग क्षेत्र का नमूना सर्वेक्षण भी शामिल है, जो पहली बार किया गया था और गणना के साथ ही किया गया था। 23 लाख पंजीकृत इकाइयों की गणना और अपंजीकृत क्षेत्र के संघटन का पता लगाने के लिए 19766 गांवों/शहरी ब्लाकों में नमूना सर्वेक्षण तीसरी गणना का एक महत्त्वपूर्ण कार्य है। यह भीमकाय कार्य सरकारी तंत्र के अन्दर, बिना एक पद सृजित किए मौजूदा जनशक्ति के द्वारा ही किया गया।

2. जबकि 23 लाख पंजीकृत इकाइयों की गणना हेतु आंकड़ा एकत्रित करने का कार्य राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों के पास उपलब्ध पंजीकृत इकाइयों की सूची के आधार पर किया गया, अपंजीकृत लघु उद्योग इकाइयों के नमूना सर्वेक्षण का कार्य दो स्तरों पर किया गया। पहले स्तर पर गांवों/शहरी ब्लाकों के सभी गैर-कृषिक उद्यमों को सूची से अलग करने के लिए चयनति गांव/शहरी ब्लाकों का दौरा किया गया। फिर सूची से अपंजीकृत लघु उद्योग इकाइयों को अर्थात् वे इकाइयां जो पंजीकरण की पात्र थीं परन्तु 31.3.2001 तक उनका पंजीकरण नहीं हुआ था, अलग किया गया और उनसे इकाइयों के नमूने लिए गए। दूसरे स्तर पर चयनित अपंजीकृत इकाइयों से आंकड़ा एकत्रित किए गए।

3. तीसरा गणना का अति महत्वपूर्ण पहलू एक ऐसा तारीका था जिसमें अनजान क्षेत्र अर्थात् अपंजीकृत लघु उद्योग क्षेत्र के अध्ययन के लिए नमूना सर्वेक्षण अभिकल्पित किया गया था, जिस से पंजीकृत लघु उद्योग इकाइयों की गणना एक साथ पूरी करने के लिए दो डाटा सैट इस प्रकार तैयार किए गए थे जिनसे लघु उद्योग क्षेत्र की पूरी तस्वीर सामने आ जाती है। तीसरी गणना की योजना में रूग्णता और उनके कारणों की जाँच को भी शामिल किया गया था। यह तीसरी गणना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियुक्त कोहली समिति की रूग्णता की अद्यतन परिभाषा पर आधारित थी। इसके अलावा, प्रारंभिक रूग्णता की जाँच का प्रभावी मानदण्ड पिछले तीन वर्षों के कुल उत्पादन में सतत् ह्रास रखा गया था और इस गणना में उसका प्रयोग किया गया।

4. गणना के लिए कोडिंग संघटन कोडों के तीन विभिन्न और अभिनव सैटों पर आधारित है, अर्थात् केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा विकसित एन आई सी 1998 पर आधारित लघु उद्योग क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक क्लीसीफिकेशन; डी पी डी द्वारा विकसित ए एस आई सी सी पर आधारित लघु उद्योग क्षेत्र के लिए कमोडिटी क्लासीफिकेशन; एन एस एस 56वें दौर के लिए एन एस एस ओ; तथा राज्य। जिला/तहसील/कस्बा की जनगणना 2001 में प्रयुक्त कोडो को पहली बार लघु उद्योग क्षेत्र की गणना में प्रयोग किया गया है। इन कोडों को अपनाने से ओर वे भी गणना में पहली बार, कार्य में जटिलता और कठिनाई आई है।

5. एक अन्य महत्त्वपूर्ण पहलू अग्रिम प्रौद्योगिकी के प्रयोग की सिफारिश थी अर्थात् डाटा फार्मेट के लिए डिजाइनिंग और प्रोसेसिंग के लिए इंटैलीजेंट करेक्टर रिकोग्नीशन टैक्नॉलोजी। इस प्रौद्योगिकी का यह लाभ है कि हस्तलिखित फार्म स्कैन किए जा सकते हैं और कंप्यूट्रीकृत उपकरण द्वारा डाटा अति शीघ्र निकाला जा सकता है। आश्चर्य यह है कि जब मैनुअल डाटा एण्ट्री तरीके से इसकी तुलना की गई तो यथार्थता कहीं अधिक उत्तम पाई गई। अधिकांश एकत्रित डाटा को पहले ही इलैक्ट्रोनिक मीडिया में रूपान्तरित किया जा चुका है। वर्तमान में डाटा वैधता की आन्तरिक जाँच प्रगति पर है।

महिला उद्यमियों के लिए पहल

महिला उद्यमियों ने सराहनीय सफलता प्राप्त की है। लघु उद्योग विकास संगठन (सीडो), विभिन्न राज्य लघु उद्योग विकास निगम (एस. एस. आई. डी.सी.), राष्ट्रीयकृत बैंक तथा एन. जी. ओ. भी उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ई.डी.पी.) सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। सम्भाव्य महिला उद्यमियों जिनकी पर्याप्त शैक्षिक पृष्ठभूमि तथा निपुणता नहीं है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सीडो

ने टी.वी. रिपेयरिंग, प्रिंटिड सर्किट बोर्ड, लैदर का सामान, स्क्रीन प्रिंटिंग इत्यादि जैसे क्षेत्रों में प्रोसेस/उत्पाद उन्मुखी उद्यमिता विकास कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। उत्कृष्ट महिला उद्यमियों को उनके द्वारा वर्ष भर में की गई उपलब्धियों को मान्यता देते हुए एक विशेष पुरस्कार प्रदान किया जाता है ताकि महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन दिया जा सके। विकास आयुक्त (ल. उ.) के कार्यालय ने भी एक महिला एकक खोली है ताकि उन्हें समन्वयन तथा महिला उद्यमियों के समक्ष आ रही विशिष्ट समस्याओं के सम्बन्ध में सहायता दी जा सके।

सरकार की कुछेक अन्य स्कीमें भी हैं जैसे कि आय सृजन स्कीम जोकि महिला और बाल विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित की जाती है। यह विभाग जरूरतमन्द महिलाओं को उन्हें आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण-सह-आय सृजन क्रियाकलाप की स्थापना हेतु सहायता प्रदान करता है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) महिलाओं के लिए दो विशेष स्कीमों का कार्यान्वयन कर रहा है, वे हैं महिला उद्यम निधि जोकि महिला उद्यमियों को ईक्विटी प्रदान करने की एकमात्र स्कीम है तथा महिला विकास निधि जोकि महिलाओं को आय के सृजन के क्रियाकलाप के लिए विकासीय सहायता प्रदन करती है। सिडबी ने भी आसान शर्तों पर क्रेडिट आवश्यकताओं के लिए अनौपचारिक चैनल की स्थापना की है जिसमें विशेष बल महिलाओं के लिए दिया गया है। इस सबके अलावा सिडबी क्रेडिट उपयोगिता के साथ-साथ महिलाओं के लिए कार्य कर रहे स्वयंसेवी संगठनों के कार्यकारियों के लिए क्रेडिट डिलीवरी स्किल हेतु भी प्रशिक्षण प्रदान करता है। केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम के तहत भी उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए अनुदान उपलब्ध है।

संवृद्धि केन्द्र योजना

देश में पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण के संवर्धन करने की दृष्टि से भारत सरकार ने जून,1998 में एक संवृद्धि केन्द्र की घोषणा की है जिसके तहत देश भर में 71 संवृद्धि केन्द्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। स्कीम के तहत संवृद्धि केन्द्रों को बुनियादी संरचना सुविधाएँ जैसे कि विद्युत, पानी, दूरसंचार और बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी ताकि वे नए उद्योगों को आकर्षित करने में सक्षम हो सकें। संवृद्धि केन्द्र औद्योगिक सम्भाव्यता तथा बेरोजगारी, क्षेत्रों और औद्योगिक पिछड़ेपन की सीमा में आबादी के संयुक्त मानदण्ड के आधार पर योजना आयोग द्वारा राज्यों के बीच विकास केन्द्रों का आबंटन किया है।

प्रत्येक चुनिन्दा संवृद्धि केन्द्र का विकास लगभग 400-800 हैक्टेयर भूमि पर लगभग 25-30 करोड़ रु. की आकलित लागत से किया जाएगा, जिसके लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों से सहायता प्राप्त की जाएगी।

प्रधानमन्त्री की उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए घोषित नई पहलों की घोषणा के तहत उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए एक नई औद्योगिक नीति तैयार की गई है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह परिकल्पना की गई है कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में संवृद्धि केन्द्रों सम्बन्धी समस्त व्यय अधिकतम 15 करोड़ रु. के प्रति केन्द्र केन्द्रीय सहायता के रूप में प्रदान किया जाएगा।

पूर्वोत्तर क्षेत्र/पहाड़ी क्षेत्रों के लिए परिवहन आर्थिक सहायता स्कीम

जुलाई 1971 में परिवहन आर्थिक सहायता स्कीम शुरू की गई थी ताकि पहाड़ी, दूरदराज तथा दुर्गम क्षेत्रों में उद्योगों का संवर्धन किया जा सके। स्कीम हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तर-पूर्वी राज्य, सिक्किम, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग जिले और उत्तरांचल के अल्मोड़ा, चमोली, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, टिहरी गढ़वाल तथा उत्तरकाशी के आठ पहाड़ी जिलों में लागू की जाएगी। स्कीम के तहत 50% से 90% तक की शृंखला में आर्थिक सहायता कच्चे माल तथा तैयार माल को रेलवे स्टेशन/पत्तनों से औद्योगिक इकाइयों तथा उसके विपरीत ले जाने में दिया जाएगा। स्कीम का विस्तार 31 मार्च, 2007 तक कर दिया गया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए पूँजीगत निवेश आर्थिक सहायता

पूँजीगत निवेश आर्थिक सहायता स्कीम (1997) शुरू की गई जिसे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमन्त्री की नई पहलों के अन्तर्गत 1.6.1998 को अधिसूचित किया। स्कीम के अन्तर्गत संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश के 15 प्रतिशत की दर पर आर्थिक सहायता 30 लाख रु. की सीमा की शर्त के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र में संवृद्धि केन्द्रों में स्थित उद्योगों तथा अन्य पहचान किए गए क्षेत्रों में नई औद्योगिक इकाइयों तथा/अथवा उनके पर्याप्त विस्तार के लिए अदा की जाती है। स्कीम का संचालन राज्य सरकारों के माध्यम से किया जाता है। पूर्वोत्तर विकास वित्तीय निगम (एन ई डी एफ आई सी) को राज्य स्तरीय समितियों/राज्य सरकार की सिफारिशों के आधार पर

पात्र इकाइयों को आर्थिक सहायता जारी किए जाने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है।

जिला उद्योग केन्द्रों का कम्प्यूटरीकरण

सांख्यिकी संग्रहण पर आठवीं प्लान स्कीम के भाग के रूप में जिला उद्योग केन्द्रों का कम्प्यूटरीकरण निम्नलिखित उद्देश्यों से आरम्भ किया गया था :

- राज्य मुख्यालयों तथा विकास आयुक्त (लघु उद्योग) मुख्यालय से आंकड़ों तक सरल पहुँच सुनिश्चित करना;
- आंकड़ों का विकेन्द्रीकृत संग्रहण तथा वैधता की सुविधा; तथा
- जिला उद्योग केन्द्रों (डी आई सीज) स्तर पर अपेक्षित संसाधन क्षमताएँ मुहैया करना, ताकि आंकड़ा संग्रहण और सूचना की उपलब्धता के बीच समय अन्तराल अन्तिम प्रयोगकर्ता के लिए पर्याप्त रूप से कम हो।

डी आई सी की कम्प्यूटरीकरण प्लान के प्रथम चरण में उत्तम गुणवत्ता कम्प्यूटर तथा संचार उपकरण 25 राज्य उद्योग निदेशालयों तथा 138 जिला उद्योग केन्द्रों में स्थापित कर दिए गए हैं। राज्य उद्योग निदेशालयों तथा जिला उद्योग केन्द्रों को निकनेट के साथ परस्पर तथा विकास आयुक्त (लघु उद्योग)मुख्यालय के साथ जोड़ा गया है। लघु उद्योगों के पंजीकरण तथा औद्योगिक उत्पादन संकलन के सूचकांक के सम्बन्ध में आंकड़ों का पारेषण विभिन्न जिला उद्योग केन्द्रों में पहले ही आरम्भ हो चुका है। शेष 308 जिला उद्योग केन्द्रों के कम्प्यूटरीकरण के कार्य पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।